खण्ड–17, अंक–2
बुधवार, 19 आश्विन, शक संवत् 1928
(11 अक्टूबर, 2006 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2006)

(खण्ड 17 में 4 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2007

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
श्री नारायण पाल द्वारा नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर जिलों की वर्ग 4 की भूमि को वर्ग 'क' में शामिल किए जाने विषयक सूचना को नियम 310 के अन्तर्गत उठाये जाने का प्रयास	1–5
प्रश्नोत्तर	5–53
विधान सभा परिसर में गाड़ियों के प्रवेश के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	53
सदन की दर्शक दीर्घा से नारे एवं पर्चे फेंके जाने से हुई सदन की अवमानना के मामले में गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	53–54
नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएँ	54–55
जनपद चमोली के वि0खं0 दसोली एवं जोशीमठ में दि0 25–26 अगस्त, 2006 को हुई भयंकर विनाशकारी अतिवृष्टि से कृषकों की फसलों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	55
जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली वि0स0 क्षेत्र के रा0इ0का0 कठूड़ हिन्दाव के अध्यापकों का विनियमितीकरण न होने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	55–56
नैनीताल नगर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेक्षागृह का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना ...	56
प्रदेश के विभिन्न निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर कोई नीति न होने के कारण उत्तरांचल के युवाओं में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना ...	56–57
जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि वि0खं0 मुख्यालय कस्बे में मंदाकिनी नदी से हो रहे भूमि कटाव के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	57
राज्य में प्रत्येक वि0खं0 में कम से कम दो हाईस्कूल अथवा इण्टर कॉलेज में वाणिज्य विषय खुलवाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	57–58

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद देहरादून के अन्तर्गत शाहनगर प्रा0 विद्यालय पर मार्ग अत्यन्त संकरा होने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	58
उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	58
उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006 (सदन के पटल पर रखा गया)	59
उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2005–06) का आठवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	59
उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2005–06) का नौवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	59
उत्तरांचल विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (2005–06) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	59
उत्तरांचल विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (2005–06) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	59
उत्तरांचल विधान सभा की आश्वासन समिति (2005–06) का सातवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	59
श्री अजय भट्ट द्वारा उद्यान मंत्री तथा प्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि0 चौमूधार के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	60–62
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित)	62
उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित) ...	62–63
उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित) ...	63
नियम 58 के अन्तर्गत सूचनाएँ	63–81
वित्तीय वर्ष, 2006–07 के प्रथम अनुपूरक अनुदान का प्रस्तुतीकरण...	81
नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएँ	81

विषय	पृष्ठ संख्या
लघु सिंचाई विभाग में सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने के सम्बन्ध में श्री नारायण सिंह जंतवाल, स0वि0स0, द्वारा नियम 53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लघु सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ...	81–82
देहरादून के इन्दर रोड रिस्पना पुल के बाईं ओर नगर निगम द्वारा उपलब्ध भूमि पर उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा उच्च जलाशय का निर्माण न कर पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरबंस कपूर, स0वि0स0, द्वारा नियम 53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	82–84
नत्थियाँ	85–96

"क"

उपस्थिति

1–श्री अजय भट्ट
2–श्री अनिल नौटियाल
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–श्रीमती आशा देवी
7–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8–श्री उम्मेद सिंह मांजिला
9–श्री काशी सिंह ऐरी
10–श्री कैलाश शर्मा
11–श्री कौल दास
12–श्री गगन सिंह
13–श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14–श्री गोपाल सिंह राणा
15–श्री गोविन्द लाल
16–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
17–श्री चन्द्रशेखर
18–श्री जोत सिंह गुनसोला
19–श्री तसलीम अहमद
20–श्री तिलक राज बेहड़
21–श्री तेजपाल सिंह रावत
22–श्री दिनेश अग्रवाल
23–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
24–श्री नव प्रभात
25–श्री नारायण दत्त तिवारी
26–श्री नारायण पाल
27–श्री नारायण राम आर्य
28–श्री नारायण सिंह जंतवाल
29–काजी निजामुद्दीन
30–श्री प्रकाश पंत
31–श्री कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32–डा0 प्रताप बिष्ट
33–श्री प्रदीप टम्टा
34–श्री प्रीतम सिंह
35–श्री प्रीतम सिंह पंवार
36–श्री प्रेमानन्द महाजन
37–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
38–श्री फूल सिंह बिष्ट
39–श्री बलवीर सिंह नेगी
40–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
41–श्री विशन सिंह चुफाल
42–श्री भगत सिंह कोश्यारी
43–श्री मदन कौशिक
44–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
45–श्री महेन्द्र भट्ट
46–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मह्‌ भाई"
47–श्री मातबर सिंह कण्डारी
48–श्री माल चन्द्र
49–चौ0 यशवीर सिंह
50–श्री रणजीत सिंह
51–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
52–श्री राम प्रसाद टम्टा
53–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
54–श्री शूरवीर सिंह
55–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
56–श्री सहजाद
57–श्री साधू राम
58–श्री सुबोध उनियाल
59–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
60–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
61–श्री सुरेश चंद
62–श्री हरबंस कपूर
63–श्री हरभजन सिंह चीमा
64–श्री हरीदास
65–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
66–श्री हीरा सिंह विष्ट
67–श्री हेमेश खर्कवाल
68–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

श्री नारायण पाल द्वारा नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर जिलों की वर्ग 4 की भूमि को वर्ग 'क' में शामिल किए जाने विषयक सूचना को नियम 310 के अन्तर्गत उठाये जाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री नारायण पाल अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी बात को जोर–जोर से कहने लगे)

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी हमारी 310 की सूचना है जो वर्ग चार की जमीन को वर्ग 1 'क' में शामिल करने की माँग है। मान्यवर, यह माँग हमेशा होती रही है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, नियम 310 में मेरी भी सूचना है। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी बात को जोर–जोर से कहने का प्रयास करने लगे तथा माननीय सदस्य श्री नारायण पाल अपने आसन से निकल कर "वेल" की तरफ आने लगे। जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, इस सूचना को कल आप दे दीजिए मैं इसे कल नियम 58 में सुन लूँगा। कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री नारायण पाल–

[x x x] (व्यवधान)

नोट – [X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

जो आप कह रहे हैं इसे लिखा नहीं जायेगा।

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य "वेल" में आकर जोर–जोर से नारे लगाने लगे– "दलित विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी।" "गुण्डागर्दी की यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी।" इसी बीच माननीय सदस्य श्री नारायण पाल एक कागज की प्रति लेकर माननीय अध्यक्ष के आसन की तरफ बढ़े उन्हें विधान सभा मार्शल द्वारा रोक लिया गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नत्थी 'क' अल्पसूचित प्रश्न–1 पुकारे जाने पर)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1

(घोर व्यवधान के मध्य माननीय मंत्री श्री नव प्रभात जी ने उत्तर पढ़ना प्रारम्भ किया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में खड़े होकर तथा भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री हरभजन सिंह चीमा एवं श्री अरविन्द पाण्डे अपनी–अपनी जगह पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नारायण पाल–

X X X

मान्यवर, इसमें [सरकार आज–कल में फैसला लेने जा रही है।]

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, हमारे माननीय विधायकों ने सामूहिक रूप से नियम 310 के अन्तर्गत सूचना दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले आप सदन को व्यवस्थित कर दें, मैं आपकी भावनाओं से भिज्ञ हूँ। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट – [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह किसानों के भविष्य का सवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल आपका है। प्रश्नकाल होने दें। (व्यवधान)

श्री नारायण पाल–

x x x

मान्यवर, हमें सुना जाय। [सरकार इसमें आज या कल में फैसला देने वाली है।] (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप कल नियम 58 के अन्दर इसको दे दें, मैं इसे सुन लूँगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, नियम 58 के अन्तर्गत हमें आज ही सुना जाय।

(घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में तथा भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री हरभजन सिंह चीमा एवं श्री अरविन्द पाण्डे अपनी–अपनी जगह पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे। बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाने लगे– "किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी", दलित विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी", "गुण्डागर्दी की यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी।")

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, इसका बिल भी आ रहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(इस बीच श्री नारायण पाल हाथ में एक कागज की प्रति लेकर श्री अध्यक्ष के आसन की तरफ बढ़े, जिन्हें बीच में ही मार्शल ने रोक दिया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

नोट – [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 11.30 बजे पुनः आरम्भ हुई)

(श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" पर आकर एवं भारतीय जनता पार्टी के श्री हरभजन सिंह चीमा तथा श्री अरविन्द पाण्डे अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ग 4 की जमीन के बारे में है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार इसमें बिल लाने जा रही है इसको सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैंने बार–बार आपसे अनुरोध किया है कि मैं कल सुन लूँगा। माननीय कण्डारी जी आप सभी माननीय सदस्यों को अपने स्थान पर बैठने को कहें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह उत्तरांचल के कृषकों के हित में है, मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इसको नियम 58 में सुनने की कृपा करें ताकि व्यवधान न हो।

श्री अध्यक्ष–

मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको कल नियम 58 में सुन लूँगा।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, आज ही सुन लें। मान्यवर, सरकार का यह कदम जनता के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष–

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आसन ग्रहण करें। मैं नहीं सुनूँगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, आप किसानों की मंशा को जानेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार का कदम किसानों के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया अपने स्थान पर बैठें, मैं कल सुन लूँगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें बीसों करोड़ रुपया नजराने के रूप में जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है मैं इसे आज नियम 58 में सुन लूँगा।

"प्रश्नोत्तर"

अल्पसूचित प्रश्न

वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशन की पात्रता

**1–श्री हरबंस कपूर–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन की क्या पात्रता है ?

उत्तरांचल में रहने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों, सभी विधवाओं तथा विकलांग व्यक्तियों को पेंशन के दायरे में लाने के लिए सरकार द्वारा कोई नियम बनाया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी हाँ।

वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा विकलांग पेंशन की पात्रता निम्नानुसार है–

(i) वृद्धावस्था पेंशन–वृद्धावस्था पेंशन के लिये वह व्यक्ति पात्र है–

(अ) जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो।

(ब) जिसके पुत्र या पौत्र 20 वर्ष से कम आयु के हैं तथा यदि उससे अधिक हैं तो स्वयं इतनी वृद्धावस्था में हों कि वे अपने माता–पिता का भरण–पोषण करने में असमर्थ हों।

(स) मासिक आय रु0 1000/– से कम हो।

(द) ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थी के पास 2.5 एकड़ से अधिक भूमि न हो।

(ii) विधवा पेंशन–विधवा पेंशन के लिये पात्रता निम्नानुसार है–

(अ) अभ्यर्थिनी की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो।

(ब) उसके कोई पुत्र या पौत्र 20 वर्ष से अधिक उम्र के न हों, यदि हों तो स्वयं इतनी विपन्न अवस्था में हो कि उनका भरण–पोषण करने में असमर्थ हों।

(स) मासिक आय रु0 1000/– से कम हो।

(iii) विकलांग पेंशन–विकलांग पेंशन के लिए पात्रता निम्नानुसार है–

(अ) अभ्यर्थिनी के पास मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण–पत्र होना चाहिए तथा विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

(ब) मासिक आय रु0 1000/– से कम हो। 1 अप्रैल, 2006 से उपरोक्त तीनों श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों को 400 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

पात्रता की शर्तों के अन्तर्गत सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशन स्वीकृत करने के प्रकरण पर विचार कर रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रदेश के सभी वृद्धों से सम्बन्धित है जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है तथा विधवाओं और विकलांगों से सम्बन्धित है। मान्यवर, समाज के वे व्यक्ति जो किसी भी कारण से सक्षम नहीं है कि वह अपनी जीविका चला सकें। परन्तु माननीय मंत्री जी ने जैसा अवगत कराया उसे अगर हम इसको व्यवहारिक रूप से देखें तो स्थिति यह है कि जो वृद्ध हैं, वह कभी तहसील के चक्कर काटते हैं, कभी एस0डी0एम0 के चक्कर काटते हैं, तो कभी समाज कल्याण के चक्कर काटते हैं। माननीय मंत्री जी इसमें यह व्यवस्था कर दें कि जो वृद्ध हैं, और जो इसके पात्र हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और बिना किसी भेद–भाव के उनके लड़के या परिवार उनका पालन पोषण करने में सहमत हैं, या नहीं हैं, वे उनका पालन पोषण का ध्यान रख सकें, ऐसी व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे। मान्यवर, जो व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक है, जो विधवा और विकलांग इसके पात्र हैं उन सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन उपलब्ध करायेंगे।

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, वास्तव में जिसे वृद्ध पेंशन या विधवा पेंशन कहते हैं, उसका आशय निराश्रित वृद्ध व्यक्ति, निराश्रित विधवा से है। जो भावना माननीय सदस्य ने व्यक्त की उससे मैं स्वयं सहमत हूँ। इस प्रक्रिया में देर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए लाभार्थी का चयन का अधिकार तीनों ही पेंशनों में ग्राम सभाओं को दे दिया गया है। ग्राम सभा उनकी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी। जहाँ तक सभी तीनों को इस श्रेणी में लेने का प्रश्न है, हम इसमें स्वतः निर्णय ले चुके हैं। इसमें प्रत्येक जनपद से जानकारी एकत्र की जा रही है कि उनके यहाँ कितने प्रकरण पेंडिंग हैं। यह जानकारी मिलने पर ही हम बजट की पर्याप्त व्यवस्था कर सकेंगे।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन हैं इसमें हम तो यह कहेंगे कि जो 20 साल की कण्डीशन लगी है। मान्यवर, इसकी वजह से मात्र 10–15 प्रतिशत व्यक्तियों को लाभ मिल पा रहा है। कारण, ऐसा होना कि आदमी की उम्र 60 साल हो जाये और उसके जीवनसाथी की उम्र भी 60 साल हो जाये और बच्चे की उम्र 20 साल भी न हुई हो, ऐसा स्वाभाविक नहीं है, लेकिन इसके साथ–साथ मैं यह भी कहूँगा कि अगर वाकई सरकार की मंशा असहाय परिवारों को पेंशन देने की है, उनकी मदद करने की है तो जो आदमी खुद असहाय हो और उसके दो बच्चे हो जायें तो वो तीन गुना और गरीब हो गया। मेरा कहना है कि 20 साल की शर्त को हटा दिया जाये।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, निराश्रित को परिभाषित करना होगा। इसमें पुत्र के साथ ही पौत्र को भी शामिल किया गया है। दूसरे, पात्रता की श्रेणी में विपन्नता भी हो। अगर पुत्र या पौत्र खुद गरीब हैं तो वे भी इस पेंशन के पात्र हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, व्यवहार में कठिनाई हो सकती है, पर नियम यही है कि अगर पुत्र या पौत्र खुद विपन्नता की स्थिति में हो और माँ–बाप का पालन–पोषण करने में असमर्थ हो तो उसको भी पेंशन दी जायेगी। अब सदन के माध्यम से यह बात आपकी जानकारी में आयी है, अगर कहीं इस तरह की कठिनाई आये तो आप बताएं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जो अधिकांश माननीय सदस्यों की भावना है। आपने नियम तो बना दिया है, उसका अनुपालन भी होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह हम और आप भी देखते हैं। इसमें यह भी आपने कहा कि अगर वह खुद विपन्न हो तो उसे पेंशन दी जायेगी, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। ऐसे प्रकरण भी हैं कि पुत्र या पौत्र अलग रहते हैं और उनके माँ–बाप अलग रहते हैं, लेकिन भाग 2 रजिस्टर में पटवारी कहता है कि दोनों परिवार एक ही हैं तो वह भी पात्रता से वंचित हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्देश जारी करायें जिससे ऐसे व्यक्तियों को जो अन्यथा पात्र हैं, लेकिन भाग 2 रजिस्टर के आधार पर वस्तुस्थिति में भी विपन्न हैं तो उनको पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलती है तो ऐसा कोई आदेश आप जारी करें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हमने सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया है कि इस पेंशन को सार्वभौमिक कर दिया जाये। जो गरीब व्यक्ति 60 की उम्र पार कर ले, उसे पेंशन मिले। यह उसके विवेक पर निर्भर है कि वह पेंशन का लाभ लेना चाहता है या नहीं। इसके लिए विस्तृत जानकारी का होना आवश्यक होता है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को पत्र लिखे गये हैं। पहले चरण में यह जानकारी हम ले रहे हैं कि कितने फार्म भरे गये हैं। दूसरे चरण में मतदाता सूची या जनगणना के अनुसार यह देखा जा सकता है कि इन सूचियों के अनुसार किसने 60 वर्ष की आयु को पार कर लिया है, उनको इन योजनाओं का पूरा लाभ मिले यह हमारा लक्ष्य है। जो बजट आप लोग पास कराते हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि पेंशन के लिए बजट लगातार बढ़ रहा है। पेंशन की धनराशि को दो बार बढ़ाया गया है, पेंशन की राशि को 125 से 400 रुपया कर दिया गया है। द्वितीय चरण में जितने भी लम्बित प्रार्थना–पत्र हैं, उनका निस्तारण हम कर रहे हैं। विकलांगों के 30 मार्च, 2006 तक जितने भी प्रमाण–पत्र पहुंचे थे, उन सबका निस्तारण कर चुके हैं। विधवा और वृद्धावस्था पेंशन के प्रमाण–पत्रों के सम्बन्ध में कार्य चल रहा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, कहां रह गया नीती, कहां रह गया माणा, श्याम सिंह पटवारी को कहां–कहां है जाना।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपकी पॉलिसी भी ठीक है, आप पैसा भी दे रहे हैं, वह भी ठीक है। लेकिन एक लेखपाल के पास इतना ज्यादा काम रहता है, आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र आदि सब के बारे में लेखपाल को ही रिपोर्ट देनी होती है। मान्यवर, हमेशा ही लेखपाल को यह काम करने होते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया मूल प्रश्न पर आ जायें।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या सरकार इन सबके लिए कार्यवाही करेगी, क्या एक ही स्थान पर कैम्प लगाये जायेंगे, जहां पर जिलाधिकारी, एस0डी0एम0, कानूनगो और लेखपाल एक ही स्थान पर आयें और लोग उसी समय उनसे वैरीफिकेशन करा लें ? अधिकारी भी वहां पर जांच कर लें कि यह उसी का लड़का है या नहीं ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, लाभार्थियों के चयन का काम पंचायतों को देने का यही उद्देश्य है कि ग्राम पंचायतें अपने ग्राम पंचायत के लोगों के नाम दे दें। (व्यवधान) मान्यवर, नगर पंचायतों को अभी यह अधिकार नहीं दिया गया है लेकिन ग्राम पंचायतों को यह अधिकार दे दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें माननीय सदस्यों का सहयोग भी आवश्यक है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, 30 साल का बेटा हो जाय तो।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तरालेख में विधवा पेंशन की पात्रता हेतु लिखा है कि अभ्यर्थिनी की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। तो क्या जो विधवा 60 वर्ष की हो जायेगी उसे पेंशन नहीं दी जायेगी ? यदि उन्हें 60 साल की आयु के बाद पेंशन नहीं दी जायेगी तो यह ठीक नहीं है। इसी प्रकार से विकलांग पेंशन की पात्रता के लिए मंत्री जी ने अपने उत्तरालेख में लिखा है कि "मासिक आय रु0 1000 से कम हो, 1 अप्रैल, 2006 से उपरोक्त तीनों श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों को 400 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा रहा है।" इसमें यह भी है कि वह व्यक्ति 40 प्रतिशत विकलांग होना चाहिए। लेकिन मान्यवर, जो व्यक्ति 100 प्रतिशत विकलांग हो वह 400 रुपये में अपना भरण–पोषण कैसे कर पायेगा ? जो व्यक्ति अपने शयन कक्ष से बाहर जाने में भी अक्षम हो, उसका भरण पोषण इतनी कम राशि में कैसे हो सकता है ? तो क्या सरकार 100 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों की पेंशन को 5000 रुपया प्रतिमाह तथा सामान्य विकलांग की पेंशन 1000 रुपया प्रतिमाह करने पर विचार करेगी ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हमने 4 वर्ष में इसे 125 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपया कर दिया है। यदि हमारे संसाधन और बढ़ेंगे तो इसको भी हम अवश्य बढ़ायेंगे।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, विपन्नता शब्द सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के विवेक पर निर्भर करता है कि वे विपन्नता को कैसे लें। अधिकतर तो यह देखने में आता है कि पात्र व्यक्ति विपन्नता की श्रेणी में नहीं आ पाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार विपन्नता शब्द को परिभाषित करेगी और क्या इसके लिए पात्रता निर्धारित करेगी ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग विपन्नता की श्रेणी में आते हैं। 1000 रुपये मासिक आय वाले या 12000 रुपया वार्षिक आय से नीचे के लोग गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो निराश्रित वृद्ध या विधवाएं हैं, जिनके पुत्र या पौत्र इस स्थिति में नहीं हैं कि वे अपने माता–पिता या दादा–दादी की सेवा कर सकें या उनका भार वहन कर सकें, उनको पेंशन देंगे। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे जितने भी प्रार्थना–पत्र आते हैं, उनको स्वीकार किया जायेगा और उनको पेंशन दी जाएगी ? दूसरी बात जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए सहमत है और इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है, क्या इसके लिए कोई समय अवधि निर्धारित करेंगे ? यह कब तक पूरा हो जाएगा ? अब केवल 3–4 महीने के लिए ही आपकी सरकार है। कितना अच्छा होता कि इसी सरकार के कार्यकाल में यह पूरा हो जाता। कितनी समय अवधि के बाद यह सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा और पेंशन मिलने लगेगी ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने 'कितना अच्छा होता' कह कर जो सुझाव दिया है, उस बारे में हमारी कोशिश होगी कि इस काम को निश्चित अवधि में पूरा करें।

तारांकित प्रश्न

जनपद पौड़ी के अति दुर्गम क्षेत्र में 5 वर्षों से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, सेवारत अध्यापकों की संख्या एवं स्थानान्तरण नीति

*1–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अति दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में प्रा0 विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल कितने अध्यापक सेवारत हैं तथा इनमें से कितने अध्यापक 05 वर्षों से अति दुर्गम स्थानों पर कार्यरत हैं ?

उक्त विषमता को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या स्थानान्तरण नीति बनाई गई है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अनुकम्पा के क्या मानक हैं ?

क्या सरकार द्वारा कई वर्षों से अति दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को इसका लाभ दिया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अति दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में 288 प्राथमिक विद्यालय एवं 74 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 695 अध्यापक सेवारत हैं तथा इनमें से 263 अध्यापक पांच वर्षों से अतिदुर्गम स्थानों पर कार्यरत हैं।

शैक्षिक सत्र, 2006–07 में कोई विभागीय स्थानान्तरण नीति निर्धारित नहीं है।

इस वर्ष कोई विभागीय स्थानान्तरण नीति नहीं होने से, स्थानान्तरण हेतु अनुकम्पा के कोई मानक नहीं है।

सम्बन्धित अध्यापकों के अनुरोध पर समय–समय पर रिक्ति उपलब्ध होने पर स्थानान्तरण किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि '263 अध्यापक पांच वर्षों से अतिदुर्गम स्थानों पर कार्यरत हैं।' मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे कितने अध्यापक हैं, जिनको 5 वर्ष से भी अधिक समय अतिदुर्गम स्थानों पर हो गया है ? इसके अतिरिक्त, शैक्षिक सत्र 2006–07 में कोई विभागीय स्थानान्तरण नीति निर्धारित नहीं की गयी है। इस वर्ष जो स्थानान्तरण किये गये हैं, वह किस नीति के तहत किये गये हैं ? इनमें से बहुत से स्थानान्तरण अनुकम्पा शब्द के माध्यम से किये गये हैं। मैं यह जानना चाहती हूँ कि अनुकम्पा शब्द के मानक क्या हैं और इसकी नीति क्या है ? कृपया इसको स्पष्ट करें। जिन अतिदुर्गम स्थानों के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है, उनको पूरा करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए गये हैं ?

मान्यवर, कितने अध्यापक ऐसे हैं जिन्हें पांच वर्ष से अधिक हो गये हैं अतिदुर्गम स्थानों पर कार्य करते हुए ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा है कि 263 अध्यापक ऐसे हैं जो पांच वर्ष से अतिदुर्गम स्थानों पर कार्यरत हैं। आपने पूछा अनुकम्पा के बारे में तो मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि इस साल अनुकम्पा के आधार पर किसी का भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया गया है और न ही अनुकम्पा के आधार पर किसी का स्थानान्तरण किया गया है, न ही अनुकम्पा के कोई मानक हैं। इस वर्ष जो हमारी विभागीय नीति थी उसी के अनुसार स्थानान्तरण किये गये हैं। स्थानान्तरण में गुण–दोष को प्राथमिकता दी गई है। किसी को हटाकर किसी दूसरे का स्थानान्तरण नहीं किया गया है, रिक्तियों को देखते हुए ही स्थानान्तरण किया गया है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अनुकम्पा के कोई मानक नहीं है और इस साल अनुकम्पा के आधार पर कोई स्थानान्तरण नहीं किया गया है। मान्यवर, दूरदराज के विद्यालयों में अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण किये गये हैं। सारे विद्यालय इस समय बन्द पड़े हैं। राजकीय इण्टर कॉलेज थल में एक भी प्रवक्ता न होने के कारण 110 छात्रों को हाईस्कूल पास होने के बाद प्रवेश नहीं दिया गया है। दूरदराज के इण्टर कॉलेजों में विज्ञान विषय से सम्बन्धित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया है, चूँकि इन विद्यालयों में एक भी विज्ञान वर्ग का अध्यापक नहीं है। मान्यवर, जहाँ पर अध्यापक नहीं हैं वहाँ पर अध्यापकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह बात सही है कि अध्यापकों की कमी है। यह कमी पूर्ववर्ती सरकारों के समय से चली आ रही है। नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है। अभी तक तीस हजार लोगों की नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)। वर्तमान में 4100 एल0टी0 ग्रेड की नियुक्तियाँ की जानी हैं। एल0टी0 ग्रेड के 150 अध्यापकों को प्रवक्ता बना दिया गया है और प्रवक्ताओं को हेड मास्टर बना दिया गया है। इस समय हमने शतप्रतिशत इण्टरमीडिएट विद्यालयों में पदोन्नति से प्रधानाचार्यों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ कि 10–15 दिन में जितने भी हमारे इण्टरमीडिएट कॉलेज हैं उनमें प्रधानाचार्यों की नियुक्ति कर दी जायगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि विभागीय स्थानान्तरण नीति न होने से स्थानान्तरण हेतु विभाग के कोई मानक नहीं हैं। श्रीमन्, जनपद पिथौरागढ़ में लगभग 100 से अधिक अध्यापकों का वर्ष, 2005 में अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हुआ है और उन्होंने अपने–अपने विद्यालयों में अपना पद धारण भी कर लिया है किन्तु 10 माह से उनका वेतन आहरित नहीं हो पा रहा है। जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष, 2005 में अनुकम्पा

के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों तथा जूनियर हाईस्कूलों में जिन शिक्षकों का स्थानान्तरण शासन के आदेश के आधार पर किया गया है और वे सभी अध्यापक पद धारण कर चुके हैं क्या उनको रुका हुआ वेतन सरकार उपलब्ध करायेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पिछले वर्ष हमने कुछ शिक्षकों के स्थानान्तरण किये थे। किन्तु कुछ अध्यापक ऐसे थे जिन्होंने स्थानान्तरण आदेश को नहीं माना और जबरदस्ती बने रहे किन्तु जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उन्हें वेतन अवश्य दिया जायेगा। यदि उनका वेतन रुका है तो वे आवेदन करें उनको वेतन दिया जायेगा। कुछ मामले ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण हुआ था किन्तु वे बने रहे तो हमने उसी समय यह कह दिया था कि यदि वे, जहाँ उनका स्थानान्तरण हुआ है, नहीं जायेंगे तो वेतन रोक दिया जायेगा। शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है। यह मेरे लिए भी सम्भव नहीं है कि हर आदमी को सुविधाजनक स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाय। प्रदेश में 70 प्रतिशत क्षेत्र अतिदुर्गम एवं दुर्गम हैं, जबकि मात्र 30 प्रतिशत क्षेत्र ही सुगम हैं। हर आदमी चाहता है हम सुगम क्षेत्र में आ जायें, यह सम्भव नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिनको ज्वाइन किये हुए 10 महीने हो गये हैं और उनका वेतन रुका हुआ है। क्या उनका रुका हुआ वेतन भी उनको मिल जायेगा ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यदि इन्होंने समय पर ज्वाइनिंग कर दी है और ये कार्यरत हैं तो इनका वेतन दिया जायेगा।

श्री नारायण राम आर्य–

मान्यवर, वर्ष 2005 में जो नियुक्तियां हुई थीं तो उस समय विभाग ने योजना बनायी थी कि तीन वर्ष से पूर्व दुर्गम क्षेत्र में कार्य करने से पहले स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। लेकिन इसके विपरीत देखने में आया है कि तीन माह में ही ऐसे विकल्पधारी अध्यापकों का स्थानान्तरण दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में कर दिया गया। मान्यवर, जो इस वर्ष इण्टर कॉलेज खुले हैं, इनमें विद्यार्थी तो नहीं है, लेकिन वहां पर पद भर दिये गये हैं और इन विद्यालयों में ऐसे अध्यापकों का भी स्थानान्तरण कर दिया गया है, जो पूर्व में किसी विद्यालय में पढा रहे थे, परन्तु इनके स्थान पर कोई व्यवस्था नहीं की गयी, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र गणाई गंगोली में जी0जी0आई0सी0 में पूर्व में आठ प्रवक्ता थे, इनमें से सात प्रवक्ताओं का स्थानान्तरण कर दिया गया है। अब यहां पर मात्र एक प्रवक्ता बचा हुआ है, अभी तक इसमें कोई प्रवक्ता का पद नहीं भरा गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप मूल प्रश्न पर आयें।

श्री नारायण राम आर्य–

मान्यवर, प्रदेश में शिक्षा की पूरी व्यवस्था चरमरा गयी है।

(सदन में शेम–शेम की ध्वनि सुनांई दी)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह सही है कि जब हमने एल0टी0 की नियुक्तियां की थी तो उस समय यह पाबन्दी लगायी थी कि तीन साल से पहले स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। मान्यवर, कुछ परिस्थितियां ऐसी आयी हैं, किसी की बीमारी को देखते हुए तथा माननीय सदस्यों की संस्तुतियों को देखते हुए हमें मानकों में शिथिलता बरतते हुए स्थानान्तरण करने पड़े। मान्यवर, जहां तक नये विद्यालयों में स्थानान्तरण की बात है, मान्यवर, हमने 912 विद्यालय उच्चीकृत किये हैं, इनमें 412 विद्यालयों की स्वीकृति मध्य सत्र में हुई थी। मान्यवर, इन विद्यालयों में यदि छात्र आते हैं तो यहां पर हम अध्यापकों की नियुक्तियां करेंगे। वर्तमान में ऐसे विद्यालयों के संचालन के लिए हमने एक–एक, दो–दो अध्यापक भेजे हैं। मान्यवर, जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि अभी 263 महिला प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई है। मान्यवर, जहां–जहां पर पद खाली हैं, वहां पर इनको भेज देंगे। मान्यवर, इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति से भी भरे जायेंगे, बहुत जल्दी इस समस्या का हल निकाल लेंगे। मान्यवर, जब नियुक्ति करने की प्रक्रिया होती है तो महीनों–वर्षों लग जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सहयोग करें।

श्री चन्द्रशेखर–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दुर्गम स्थान पर एक अध्यापक कितने दिन रह सकता है ? कितने समय तक रह सकता है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जब तक अध्यापक वहाँ रहना चाहता है वह रह सकता है।

श्री नारायण राम आर्य–

मान्यवर, शासनादेश था कि 3 वर्ष से कम समय में स्थानान्तरण नहीं होगा, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि 3 साल से कम अवधि में स्थानान्तरण हो गया है, यह बड़ी विषम परिस्थिति है।

श्री चन्द्रशेखर–

मान्यवर, एक अध्यापक 17 साल से दुर्गम स्थान पर रह रहा है और आज तक दुर्गम स्थिति में रह रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है, हम भी लिख कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, मेरे पास उसका नाम, पता सब है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चन्द्रशेखर जी, आप लिख कर दे दें, इस पर विचार किया जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, आप लिखित सूचना दे दें इस पर विचार कर लेंगे।

श्री मदन कौशिक–

माननीय चन्द्रशेखर जी ने पहली बार प्रश्न उठाया है कृपया विचार कर लें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि 70 प्रतिशत क्षेत्र दुर्गम है, यह सम्भव नहीं है कि 15–20 साल में भी सुगम स्थान में लायें। जो आवेदन करता है, उस पर विचार करते हैं।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में उत्तरांचल में, मेरी जानकारी में, लगभग दो सौ स्थानों पर प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने पद रिक्त हैं ? यह सरकार की ओर से उत्तर आ जाय और कब तक भर लिया जायेगा ? मान्यवर, जूनियर हाई स्कूलों में 3226 अध्यापकों के पद रिक्त हैं और प्रवक्ता के 3430 पद रिक्त हैं और एल0टी0 ग्रेड में 4474 पद रिक्त हैं, इस प्रकार लगभग ग्यारह हजार पद रिक्त हैं, तो मेरा प्रश्न है कि इन पदों को आप कब तक भर देंगे, क्योंकि मात्र 120 दिन चुनाव में रह गये हैं, जिसमें से 60 दिन आचार संहिता में निकल जायेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैंने कहा है कि प्रक्रिया जारी है और प्रमोशन भी लगातार कर रहे हैं, प्रधानाचार्यों के बारे में मैंने पहले ही कह दिया है कि सौ प्रतिशत प्रमोशन कर रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कितने दिनों में हो जायेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, प्रक्रिया चल रही है।

विभिन्न जनपदों में विशिष्ट बी0टी0सी0 की सीटों के आवंटन हेतु मानक एवं जनपद उत्तरकाशी को एक भी सीट आवंटित न किये जाने के कारण

*2–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपदों को विशिष्ट बी0टी0सी0 की सीटों के आवंटन के मानक क्या थे तथा जनपद उत्तरकाशी को एक सीट भी आवंटित न किये जाने के क्या कारण थे ?

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के प्रशिक्षित बेरोजगारों के हित में विशिष्ट बी0टी0सी0 की सीटों का आवंटन किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो वह संख्या क्या होगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

शासनादेश संख्या 845/XXIV(1)/2005–54/2005, दिनांक 12–12–2005 द्वारा निर्धारित छात्र मानकानुसार दिनांक 30 जून, 2006 को उपलब्ध रिक्त पदों के साथ–साथ 2006–07 में प्रस्तावित नये विद्यालयों में सृजित पदों की संख्या एवं पदोन्नति से होने वाले रिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए कुल रिक्तियों के आधार पर जनपदवार विशिष्ट बी0टी0सी0 सीटों का आवंटन किया गया है। लेकिन जनपद उत्तरकाशी में उक्त मानकों के आधार पर रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण विशिष्ट बी0टी0सी0 से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 13–06–2006 के अनुसार जनपद उत्तरकाशी को कोई सीट आवंटित नहीं की जा सकी।

शासनादेश संख्या 597/XXIV(1)/2006–45/2004, दिनांक 5–7–2006 के अनुसार जनपद उत्तरकाशी में निकट भविष्य में होने वाले रिक्त पदों की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए विशिष्ट बी0टी0सी0 की सीटों का आवंटन किया गया है।

53 (तिरेपन)

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जनपदवार विशिष्ट बी0टी0सी0 की कितनी सीटें आवंटित की गई और जनपद उत्तरकाशी को जून, 2006 के शासनादेशानुसार शून्य क्यों किया गया ? जुलाई, 2006 को उत्तरकाशी जनपद में भारी विरोध के बाद उत्तरकाशी को सिर्फ 53 सीटें आवंटित की गईं। सीट आवंटन का आधार क्या था ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, विशिष्ट बी0टी0सी0 के पद का आवंटन हमने जनपदवार रिक्तियों के आधार पर किया। वर्तमान में जितनी रिक्तियाँ थीं, जितने भी शिक्षक वर्ष, 2006 तक सेवानिवृत्त होंगे और जितने विद्यालय हमारे नये खुलते हैं, इन अध्यापकों को जोड़कर इसी के आधार पर जिलावार आवंटित किया। जहाँ तक उत्तरकाशी की बात है उत्तरकाशी में 88 अध्यापक अधिक हैं वहाँ की स्थिति मानक के अनुसार 1536 अध्यापकों के स्थान पर शिक्षा मित्रों को जोड़कर वहाँ पर 1624 अध्यापक कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त मानक से अधिक 88 अध्यापक हैं, सेवानिवृत्त 8 होंगे, 16 नये विद्यालय खुलेंगे और प्राथमिक विद्यालय हैं 32, 12 जूनियर हाईस्कूल खुलेंगे। इन सबको लेकर 8 हैं। मान्यवर, यह 53 सीटें क्यों आवंटित की, यह देखते हुए विशिष्ट बी0टी0सी0 की व्यवस्था की कि इस प्रदेश में बेरोजगार बी0एड0 हैं उनका समायोजन करने के लिए रिक्त स्थानों पर इनकी भर्ती की व्यवस्था की।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, आप उत्तरकाशी में 8 की बात कर रहे हैं। वहाँ पर 34 विद्यालय ऐसे हैं जो कि शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं। जबकि लगभग 60–70 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ मानक के अनुसार 2 या 3 अध्यापक होने चाहिए वहाँ पर एक ही अध्यापक हैं। मान्यवर, इस तरह लगभग 100 पद इन विद्यालयों में खाली हैं। इसी तरह 16 प्राथमिक विद्यालय नए खुले हैं जिसमें 32 अध्यापकों की आवश्यकता है, 16 जूनियर हाईस्कूल नवीन खुले हैं जिसमें 48 अध्यापकों की आवश्यकता है। मान्यवर, उत्तरकाशी में सब मिलाकर लगभग 250 के लगभग रिक्तियाँ हैं। सदन में गलत बयान दे रहा हूँ तो आप बतायें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हमारे पास फीगर हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, यह तो सरासर उत्तरकाशी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वहाँ पर 34 विद्यालय शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं, हाँ या ना में बता दें। उत्तरकाशी को 200 सीटें आवंटित करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंवार जी, आप कृपया बैठिये।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वहाँ के लोग (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैंने उत्तरकाशी जनपद की पूरी फीगर दे दी है। 1536 होने चाहिए थे, लेकिन शिक्षा मित्रों को मिलाकर (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 34 विद्यालय ऐसे हैं या नहीं जो शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं ? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मेरे जनपद में भी (व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो फीगर दी है उससे ऐसा लगता है कि उत्तरकाशी में विशिष्ट बी0टी0सी0 की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। क्या माननीय मंत्री जी इसका सत्यापन कराकर सीटों को बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य चाहे रुद्रप्रयाग के हों या उत्तरकाशी के, वे आएं मैं उस जनपद के अधिकारियों को बुलाकर स्थिति स्पष्ट कर दूँगा। आप आएं हम स्थिति स्पष्ट कर देंगे। (व्यवधान) मेरे पास रुद्रप्रयाग के लोग आये थे, अधिकारियों ने उन्हें समझाया और वे संतुष्ट होकर चले गये। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने कहा कि एल0टी0 में पद विज्ञापित किये गये हैं, इसके पहले बी0एड0 प्रशिक्षितों को नौकरी दी गयी थी और अब ये पद विज्ञापित हुए हैं तो इसमें वे भी अप्लाई करेंगे और उनमें से अधिकांश नियुक्त भी हो जायेंगे। इसके बाद प्राथमिक विद्यालयों के पद फिर रिक्त हो जायेंगे। इनको भरने के लिए भी क्या आप कोई योजना बना रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हर व्यक्ति दोनों जगह अप्लाई कर सकता है, इसे रोका नहीं जा सकता है। अगर एल0टी0 में ज्यादा लोग आ जाते हैं तो इसके लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था की जायेगी।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहती हूँ कि बी0एड0 प्रशिक्षितों को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी दी गयी है, लेकिन जो एन0टी0टी0 प्रशिक्षित हैं, क्या उनको भी नियुक्ति दी जायेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, एन0टी0टी0 अर्थात् नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। नर्सरी क्लास तो हम चलाते ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त।

जनपद पौड़ी के वि0खं0 द्वारीखाल, यमकेश्वर व दुगड्डा में बीजों के वितरण की मात्रा व मूल्य

*3–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2003–04 से वर्ष 2005–06 तक जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल, यमकेश्वर व दुगड्डा के किन–किन ग्राम सभाओं में कितनी मात्रा में बीजों का वितरण किस मूल्य पर किया गया ?

क्या यह सत्य है कि इन क्षेत्रों में बीजों का वितरण सही समय पर नहीं किया गया ?

यदि हाँ, तो क्यों ?

तथा बीज की कम खपत के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री [श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)]–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल, यमकेश्वर, दुगड्डा में निम्नानुसार ग्राम सभाओं में बीज वितरण कराया गया।

1. वर्ष 2003–04 में खरीफ एवं रबी फसलों में विकास खण्ड द्वारीखाल की 39 ग्राम सभाओं में 76.22 कुन्तल तथा विकास खण्ड यमकेश्वर की 30 ग्राम सभाओं में 93.78 कु0 तथा दुगड्डा विकास खण्ड की 41 ग्राम सभाओं में 174.94 कु0 बीज वितरण कराया गया। बीज का विक्रय क्रमशः सोयाबीन रु0 2390, धान रु0 1225 से 1685 तक (प्रजातिवार), मण्डुआ रु0 2375, मूंगफली रु0 3690, चना रु0 2825 से 3108 तक (प्रजातिवार), मसूर रु0 3100, गेहूँ रु0 1330 से 1784 तक (प्रजातिवार), तथा जौ रु0 1170 कु0 की दर से किया गया।

नोट –तारांकित प्र0सं0 2 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

2. वर्ष 2004–05 में खरीफ एवं रबी फसलों में विकास खण्ड द्वारीखाल की 39 ग्राम सभाओं में 106.96 कुन्तल तथा विकास खण्ड यमकेश्वर की 30 ग्राम सभाओं में 118.59 कु0 तथा दुगड्डा विकास खण्ड की 41 ग्राम सभाओं में 129.64 कु0 बीज वितरण कराया गया। बीज का विक्रय क्रमशः सोयाबीन रु0 2155, उर्द रु0 2730, धान रु0 1270 से 1784 तक (प्रजातिवार), अरहर रु0 3060, गेहूँ रु0 1350 से 1710 तक (प्रजातिवार) प्रति कुन्तल की दर से किया गया।

3. वर्ष 2005–06 में खरीफ एवं रबी फसलों में वर्ष 2004–05 में विकास खण्ड द्वारीखाल की 39 ग्राम सभाओं के 296.13 कु0 तथा विकास खण्ड यमकेश्वर की 30 ग्राम सभाओं में 119.79 कु0 एवं दुगड्डा विकास खण्ड की 41 ग्राम सभाओं में 81.66 कु0 बीज वितरण कार्य कराया गया। बीज का विक्रय क्रमशः सोयाबीन रु0 3250 से 3320 तक (प्रजातिवार), धान रु0 1315 से 1693 तक (प्रजातिवार), मसूर रु0 3300, गेहूँ रु0 1385 से 1806 तक (प्रजातिवार) प्रति कु0 की दर से किया गया।

4. उक्त बीज वितरण का कार्य निर्धारित दरों पर अनुमन्य अनुदान के साथ किया गया है। धान्य फसलों के बीजों पर रु0 200 प्रति कु0 मोटा अनाज रु0 400 प्रति कु0 एवं दलहनी/तिलहनी फसलों पर 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 800 प्रति कु0 की दर से अनुदान पर बीज वितरण का कार्य किया गया। यह अनुदान धान्य फसलों पर विगत 10 वर्षों की अधिसूचित प्रजातियों पर ही अनुमन्य है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

1. बीज वितरण का कार्य विकास खण्ड मुख्यालय पर स्थित विभागीय बीज विक्रय केन्द्रों से किया जाता है। यहां से सभी ग्राम सभाओं के कृषकों द्वारा बीज निर्धारित दरों पर अनुमन्य अनुदान के साथ क्रय किया जाता है। यह अनुदान धान्य फसलों की विगत 10 वर्षों की अधिसूचित प्रजातियों पर ही अनुमन्य है।

2. उन्नतशील प्रजातियों के बीज का विक्रय मूल्य अधिक होने के कारण कृषकों द्वारा कम मात्रा में बीज क्रय किया जाता है।

3. विकास खण्ड के दूरस्थ ग्रामों में विक्रय केन्द्र न होने के कारण बीजों की खपत कम हो पाती है।

4. पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश भूमि असिंचित एवं छोटी–छोटी जोतें होने के कारण दूरस्थ क्षेत्रों के कृषकों द्वारा बीज का क्रय कम किया जाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने हेतु मानक

*श्री हरबंस कपूर–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने हेतु मानक निर्धारित है ? यदि हाँ, तो क्या ?

क्या कृषि मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन मानकों के अन्तर्गत कुल कितने किसान उत्तरांचल में क्रेडिट कार्ड के पात्र हैं ?

क्या सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा दिये हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

जी हाँ।

किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किये जाने के निम्न मानक हैं–

1. किसान क्रेडिट कार्ड प्रत्येक किसान जिसके पास कृषि योग्य भूमि हो।
2. वर्तमान ऋणी जिनका पिछले दो वर्षों का संतोषजनक लेन–देन रहा हो तथा उसकी उत्पादक ऋण आवश्यकता रु0 1000/– या उससे अधिक हो।
3. शाखा प्रबन्धक नये ऋणी का चुनाव भी कर सकता है यदि वह उसकी साख के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हो।
4. किसान किसी भी बैंक शाखा का बकायेदार नहीं होना चाहिए।
5. कृषकों को उनके जोत क्षेत्र, फसल पद्धति तथा लागत, अनुषंगी कार्यकलाप जैसे सिंचाई व्यय, बिजली खर्च, कृषि मशीनरी का रख–रखाव तथा आकस्मिक आवश्यकतायें आदि के हिसाब से वित्तमान के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किया जाता है।

प्रदेश में कुल 8.90 लाख कृषि जोते हैं, जिससे सम्बन्धित कृषक किसान क्रेडिट कार्ड की पात्रता में आते हैं।

जी नहीं।

योजना प्रारम्भ से अब तक कुल 5,40,912 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। अवशेष कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था "एडसिल" के खिलाफ कार्रवाई किये जाने की मांग

*5–श्री अजय भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बी0टी0सी0 परीक्षा में उत्तरांचल के छात्र–छात्राओं के साथ खिलवाड़ करने वाली संस्था "एडसिल" के खिलाफ सरकार द्वारा कोई जांच की गयी है ?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है तथा क्या सरकार "एडसिल" पर कोई मुकदमा दायर कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लोक उपक्रम "एजुकेशनल कन्सल्टेन्ट इण्डिया लिमिटेड '(एडसिल)' नोंएडा को बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। दिनांक 26–2–2006 को आयोजित होने वाली इस प्रवेश परीक्षा के प्रवेश–पत्र परीक्षा तिथि से पूर्व अभ्यर्थियों को नहीं मिलने के कारण यह प्रवेश परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। इस प्रवेश परीक्षा के मूल प्रवेश–पत्र परीक्षार्थियों तक नहीं पहुंचने के कारण की जांच हेतु अधिसूचना संख्या 4/शिक्षा/विविध/2006, दिनांक 26–2–2006 द्वारा मा0 न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) श्री इरशाद हुसैन एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया।

जांच आयोग द्वारा दिनांक 23–5–2006 में आयोग द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी। उक्त रिपोर्ट में जांच आयोग द्वारा एडसिल को इस प्रवेश परीक्षा के स्थगित होने का उत्तरदायी माना गया।

एडसिल पर मुकदमा विधिक परीक्षण एवं राय प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तरांचल में इण्टर, हाईस्कूल एवं जू0 हाईस्कूलों की जिलेवार संख्या तथा अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ

*6–श्री अजय भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में इण्टर, हाईस्कूल एवं जू0 हाईस्कूलों की जिलेवार कुल कितनी संख्या है तथा इनमें पृथक–पृथक कुल कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं ?

सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने की क्या योजना बनायी गई है ?

तथा उक्त योजना के अनुसार कुल कितने अध्यापकों की भिन्न–भिन्न विद्यालयों में नियुक्ति की गयी है ?

सरकार द्वारा शेष रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियाँ प्रदान कर दी जायेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

उत्तरांचल में इण्टर, हाई स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूलों में जिलेवार संख्या एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :–

कुल विद्यालयों की संख्या				कुल रिक्त पदों की संख्या		
जनपद का नाम	इण्टर	हाई स्कूल	जू0हा0	प्रवक्ता	एल0टी0	जू0हा0 प्र0अ0/ स0अ0
अल्मोड़ा	120	98	253	527	620	219
पिथौरागढ़	85	65	238	354	483	159
नैनीताल	79	78	293	176	294	142
ऊधमसिंह नगर	46	45	239	102	181	106
बागेश्वर	35	32	110	171	238	33
चम्पावत	34	35	125	150	194	20
पौड़ी	145	266	416	524	799	233
टिहरी	134	81	380	470	590	134
रुद्रप्रयाग	61	30	128	214	221	61
चमोली	84	72	249	302	482	62
देहरादून	66	68	260	131	324	69
हरिद्वार	14	34	126	112	193	51
उत्तरकाशी	55	41	209	197	255	75
योग	958	945	3026	3430	4874	1364

सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निम्न योजना बनाई गयी है :–

1. प्रवक्ता वेतनक्रम के 50 प्रतिशत पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्त किये जाने हेतु अधियाचन भेजा गया है। शेष 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरा जा रहा है।
2. सहायक अध्यापक (एल0टी0 वेतनक्रम) के 4117 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन–पत्र आमंत्रित करने के उपरान्त चयन प्रक्रिया गतिमान है।

3. जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने की कार्यवाही जनपद स्तर पर की जा रही है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों के अन्तर्गत प्रवक्ता वेतनक्रम में 1094, एल0टी0 वेतनक्रम में 2008 तथा जूनियर हाई स्कूलों में 2395 अध्यापकों को पदोन्नति प्रदान की गयी है।

1. प्रवक्ता वेतनक्रम में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के उपरान्त नियुक्ति की जायेगी, शेष पदों पर पदोन्नति हेतु कार्यवाही इसी शैक्षिक सत्र में की जायेगी।

2. सहायक अध्यापक (एल0टी0 वेतनक्रम) के रिक्त पदों को भरने हेतु इसी शैक्षिक सत्र में नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विभाग में स्थाई तकनीकी इकाई का गठन

*7—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि शिक्षा विभाग में निर्माण कार्यों हेतु प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये स्वीकृत होते हैं किन्तु विभाग में स्थायी तकनीकी इकाई न होने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होते हैं ?

क्या मंत्री जी शिक्षा विभाग में स्थायी तकनीकी इकाई का गठन करेंगे ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

हाँ, यथा समय।

यथा समय विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत कला, वाणिज्य तथा संगीत विषयों को सम्मिलित करने पर विचार

*8—श्री प्रकाश पन्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल की विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत सी0बी0एस0ई0 के पाठ्यक्रम में कला, वाणिज्य तथा संगीत विषयों को सम्मलित नहीं किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्यों ?

क्या सरकार इन विषयों के महत्व को देखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कला अनिवार्य विषय तथा वाणिज्य व संगीत अतिरिक्त विषय के रूप में ऐच्छिक विषय हैं।

प्रदेश के विद्यालयों में सामान्य वर्ग के छात्र–छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन किये जाने पर विचार

*9–श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विद्यालयों में सामान्य वर्ग के छात्र–छात्राओं को प्रति माह अवमुक्त की जाने वाली छात्रवृत्ति की दरें कक्षा 7 व 8, कक्षा 9 व 10 तथा कक्षा 11 व 12 के लिए कितनी निर्धारित की गयी है ?

क्या सरकार के संज्ञान में है कि वर्ष 1960 के पश्चात् इन दरों में संशोधन नहीं किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी प्रतिमाह अवमुक्त की जाने वाली इन छात्रवृत्तियों की दरों में संशोधन किये जाने पर विचार करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

संलग्न सूची में उल्लिखित विभिन्न छात्रवृत्तियाँ।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन है।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 85 पर)

अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ करने पर विचार

*10–श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में रोक लगाई गयी है ?

यदि हाँ, तो कब से तथा क्यों ?

यदि नहीं, तो क्या इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने पर विचार करेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

अविभाजित राज्य उ0प्र0 में शासनादेश सं0 20/1/91–का–2/97, दिनांक 3–11–1997 द्वारा सभी श्रेणी की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। शासनादेश सं0 20/1/91–का–2/97, दिनांक 9–7–1998 द्वारा समूह 'ग' श्रेणी के रिक्त पदों से प्रतिबन्ध हटाया गया।

अविभाजित राज्य उ0प्र0 में शासनादेश सं0 20/1/91–का–2/97, दिनांक 3–11–1997 द्वारा सभी श्रेणी की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। कालान्तर में शासनादेश सं0 20/1/91–का–2/97, दिनांक 09–07–1998 द्वारा समूह 'ग' श्रेणी के रिक्त पदों से प्रतिबन्ध हटाया गया।

उत्तरांचल राज्य में समूह 'ग' श्रेणी के शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति से प्रतिबन्ध हटा कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है किन्तु तृतीय श्रेणी के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अधिसंख्यक पदों पर हुई नियुक्तियों का समायोजन न होने के कारण उत्पन्न स्थिति से इस प्रतिबन्ध को अभी शिथिल नहीं किया जा सका है। इसी प्रकार कतिपय संस्थाओं में मानकों से अधिक चतुर्थ श्रेणी के पद सृजित एंवं कार्यरत होने के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन है। गुण दोष के आधार पर यथासमय निर्णय लिया जायेगा।

जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया तहसील में पन्तनगर कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में

*11–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत चौखुटिया तहसील सर्वाधिक कृषि सिंचित क्षेत्र है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कृषि क्षेत्र में रोजगार लाने हेतु पन्तनगर कृषि विज्ञान केन्द्र का विस्तारीकरण कर चौखुटिया को उक्त की शाखा के रूप में चयनित करने का प्रयास कर रही है ?

क्या यह सत्य है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा कुलपति पन्तनगर को सम्बोधित पत्र दिनांक 04 मई, 2006 में उक्त सन्दर्भित स्थान में शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया है ?

यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

विषय को व्यवहारिक एवं विचार योग्य उल्लिखित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर को लिखा गयां

31–03–2008 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

*12–श्री बलबीर सिंह नेगी–

मा0 सदस्य द्वारा प्रश्न वापस लिया गया।

अतारांकित प्रश्न

1–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

प्रथम गुरूवार के अता0प्र0सं0 23 में स्थानान्तरित

जनपद पौड़ी में हाईस्कूल एवं इण्टर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों की संख्या एवं रा0इ0 कॉलेज किनसुर, कुंतणी, वनचुरी, महादेवचट्टी तथा उ0मा0वि0 हीराखाल में प्रधानाचार्यों के नियुक्ति

2–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पोड़ी गढ़वाल के कितने हाईस्कूल एवं इण्टर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार रा0ई0का0 किनसुर, कुंतणी, वनचुरी, महादेवचट्टी एवं उ0मा0वि0 हीराखाल में इसी शैक्षणिक सत्र में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में हाई स्कूल स्तर पर 36 पद तथा इण्टर स्तर पर 52 पद प्रधानाचार्यों के रिक्त हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

3–श्री विशन सिंह चुफाल–

प्रथम सोमवार के अता0प्र0सं0 62 में स्थानान्तरित।

जनपद पौड़ी में वर्ष, 2003 से 2006 तक निर्मित सिंचाई नहरें, हाईड्रम योजनायें एवं कुल सिंचित भूमि

4–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में वर्ष, 2003 से 2006 तक कुल कितने हाईड्रम योजनाएं एवं कितनी कि0मी0 लम्बी नहरें निर्माण की गयी तथा इन नहरों द्वारा कुल कितने हेक्ट0 भूमि सिंचित हो रही है ?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि कई नहरों का निर्माण जलस्रोत सूखे होने के बाद भी किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे स्थानों का निरीक्षण करके दोषी अधिकारियों को दण्डित किया गया है ?

यदि हाँ, तो कितने ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में वर्ष, 2003 से 2006 तक 30 हाईड्रम योजनाएं तथा 699.732 किमी0 गूल निर्मित की गयी है तथा इनसे 5272.382 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

विभाग द्वारा जल स्रोत पर पानी की उपलब्धता होने पर ही गूलों का निर्माण किया जाता है।

उत्तरांचल शासन द्वारा "उत्तरांचल पर्वतीय शिक्षक संगठन" को मान्यता

5–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि 12 नवम्बर, 2000 को बतौर मुख्य अतिथि तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के प्रथम प्रान्तीय सम्मेलन में उत्तरकाशी में संगठन को मान्यता दिये जाने की घोषणा की गई थी ?

यदि हाँ, तो क्या उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन को मान्यता प्राप्त हो गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के अनुरोध पर शासन द्वारा उत्तरांचल पर्वतीय शिक्षक संगठन को मान्यता प्राप्त की गयी है।

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धारचूला में रा0उ0मा0वि0 रीठा रैतोली व जापुकाथल के उच्चीकरण एवं भवन निर्माण की घोषणा का क्रियान्वयन

6–श्री नारायण राम आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 08–04–06 को धारचूला (पिथौरागढ) में रा0उ0मा0वि0 रीठा रैतोली व जापुकाथल विद्यालयों के इण्टर स्तर पर उच्चीकरण एवं भवन निर्माण हेतु 50 लाख (पचास लाख) रुपये दिये जाने की घोषणा की गई थी ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त विद्यालयों का उच्चीकरण व धन अवमुक्त कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

7—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

प्रथम मंगलवार के अता0प्र0सं0 47 में स्था0 एवं द्वितीय मंगलवार तक स्थगित।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत ग्राम रायपुर में कन्या हाईस्कूल के भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन

8—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून जनपद के अन्तर्गत रायपुर विकास खण्ड के रायपुर नाम ग्राम में कन्या हाईस्कूल के भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन हो चुका है ?

यदि हाँ, तो कब व कहाँ पर ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विद्यालय भवन के निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

उपयुक्त भूमि की उपलब्धता पर यथासमय।

राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड में बालिका इण्टरमीडिएट कॉलेज खोले जाने का निर्णय

9—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय में सरकार द्वारा एक—एक बालिका इण्टरमीडिएट कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किन—किन विकास खण्डों के मुख्यालयों में बालिका इण्टरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है तथा शेष विकास खण्ड कौन हैं और उनमें कब तक इन कॉलेजों की स्थापना कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में ए0आई0वी0पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष, 2004–05 व 2005–06 में विकास खण्डवार आवंटित धनराशि एवं निर्मित गूल एवं हौज का विवरण

10–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी, डुण्डा, चिन्यालीसौड़, नौगांव, पुरोला तथा मोरी में वर्ष, 2004–05 व 2005–06 में विकास खण्डवार ए0आई0वी0पी0 योजनान्तर्गत सिंचाई गूल व हौज निर्माण हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया तथा कुल कितने सिंचाई हौज व कितने किलोमीटर सिंचाई गूल का निर्माण किया गया ?

क्या परियोजना प्रस्ताव के आधार पर हौज सिंचाई गूलों का निर्माण करवाया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)–

जनपद उत्तरकाशी में ए0आई0वी0पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष, 2004–05 व 2005–06 में विकास खण्डवार आवंटित धनराशि एवं निर्मित गूल एवं हौज का विवरण संलग्न है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 88 पर)

वर्ष, 2005–06 में जनपद रुद्रप्रयाग में लघु सिंचाई विभाग को गूल निर्माण हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार से स्वीकृत धनराशि एवं निर्मित गूलों के सम्बन्ध में

11–श्रीमती आशा देवी–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग हेतु वर्ष, 2005–06 में लघु सिंचाई विभाग को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कितना धन स्वीकृत किया गया तथा स्वीकृत धनराशि में कुल कितनी सिंचाई गूलों का निर्माण किया गया ?

क्या निर्मित गूलों से नियमित सिंचाई की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

लघु सिंचाई विभाग जनपद रुद्रप्रयाग को वर्ष, 2005–06 में भारत सरकार से रु0 399.00 लाख एवं राज्य सरकार (जिला योजना) से रु0 13.67 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 41 सिंचाई गूलों का निर्माण कार्य यूजर्स ग्रुप के माध्यम से पूर्ण कर यूजर्स ग्रुप/ग्राम सभाओं को हस्तान्तरित कर दी गई है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रा0उ0मा0वि0 भणज का उच्चीकरण

12–श्रीमती आशा देवी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रा0उ0मा0वि0 भणज की स्थापना कब और किस सन् में की गयी थी ?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि उक्त विद्यालय के उच्चीकरण की माँग क्षेत्रीय जनता लम्बे अरसे से करती आ रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इसी वित्तीय सत्र में विद्यालय का उच्चीकरण इण्टर स्तर पर करने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

सितम्बर, 1990 में।

जी हाँ।

मानकों की पूर्ति होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

13–श्रीमती आशा देवी–

प्रथम गुरूवार के अता0प्र0सं0 28 में स्था0।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रा0इ0का0 चौपता के जीर्ण–शीर्ण भवन का निर्माण

14–श्रीमती आशा देवी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग में विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत रा0इ0का0 चौपता का विद्यालय भवन अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है ?

क्या यह सत्य है कि छात्र–छात्राओं को भवन न होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण हेतु धन उपलब्ध करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम पाली में वर्ष, 1997 में स्वीकृत हाईस्कूल के भवन निर्माण के सम्बन्ध में

15–श्रीमती आशा देवी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद रुद्रप्रयाग में विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत ग्राम पाली में सन्, 1997 में जूनियर हाईस्कूल की स्वीकृति तथा विद्यालय भवन निर्माण हेतु धन भी स्वीकृत हुआ था ?

यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा भवन निर्माण किया जा चुका है ?

यदि हाँ, तो कुल कितनी धनराशि भवन निर्माण में व्यय की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालय भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण।

जनपद उत्तरकाशी के रा0इ0का0 श्रीकोट व वनचौरा में इण्टरमीडिएट कक्षाओं में कला व गृह विज्ञान विषयों का संचालन

16–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कॉलेज श्रीकोट व वनचौरा में इण्टरमीडिएट कक्षाओं में कला व गृह विज्ञान की कक्षायें संचालित की जायेंगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर मानक पूर्ण करने पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में वर्ष, 2005–06 में लघु सिंचाई विभाग को दैवीय आपदा के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सिंचाई हौज, गूलों के पुनर्निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

17–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में लघु सिंचाई विभाग को बाढ़ एवं दैवीय आपदाओं के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सिंचाई हौज गूलों के पुनर्निर्माण तथा मरम्मत हेतु वर्ष, 2005–06 में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा किन–किन सिंचाई गूलों और हौजों का पुनर्निर्माण व मरम्मत की गई ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

जनपद उत्तरकाशी में लघु सिंचाई विभाग को बाढ़ एवं दैवीय आपदा के अन्तर्गत सिंचाई गूल एवं हौजों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु वर्ष, 2005–06 में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आदर्श विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों को पदोन्नति से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में

18–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय आदर्श विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों को पदोन्नति लाभ से वंचित रखा गया है ?

यदि हाँ, तो विसंगति के क्या कारण हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

राजकीय आदर्श विद्यालय/जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के पद पर की जाती थी। पंचम वेतन आयोग में प्रधानाध्यापकों का वेतनमान प्रति उप विद्यालय निरीक्षक से उच्च होने एवं प्रति उप विद्यालय निरक्षक संवर्ग मृत होने के कारण अब इस पद पर पदोन्नति किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति

19–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रा0 कन्या इ0 कॉलेज डीडीहाट एवं रा0क0इ0 कॉलेज थल में कुल कितने प्रवक्ता के पद रिक्त हैं ?

तथा रिक्त होने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद पिथौरागढ़ के रा0 कन्या इण्टर कॉलेज डीडीहाट में विषय रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, हिन्दी, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थ शास्त्र के कुल 06 प्रवक्ता पद रिक्त हैं।

2–रा0 कन्या इण्टर कॉलेज थल में विषय हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, अर्थ शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित के कुल 09 प्रवक्ता पद रिक्त हैं। नवीन उच्चीकृत विद्यालय हैं।

1–रा0 कन्या इण्टर कॉलेज डीडीहाट में उक्त विषयों में प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप पद रिक्त हैं।

2–रा0 कन्या इण्टर कॉलेज थल इण्टर स्तर पर नवीन उच्चीकृत विद्यालय है।

जी हाँ।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रा0इ0 कॉलेज डोर, नाचनी, बासबगड व चौबाटी में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति

20—श्री विशन सिंह चुफाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में रा0इ0का0 डोर, नाचनी, बासबगड़, चौबाटी में कुल कितने प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार इन पदों पर तैनाती करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

1—जनपद पिथौरागढ़ के रा0इ0का0 डोर में संस्कृत, अंग्रेजी विषय के कुल 02 पद रिक्त हैं।

2—रा0इ0का0 नाचनी में अर्थ शास्त्र, हिन्दी विषय के कुल 02 पद रिक्त हैं।

3—रा0इ0का0 बासबगड़ में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थ शास्त्र, रसायन विज्ञान, हिन्दी विषय के कुल 06 पद रिक्त हैं।

4—रा0इ0का0 चौबाटी में गणित, हिन्दी, अर्थ शास्त्र, रसायन विज्ञान विषय के कुल 04 प्रवक्ता पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के पैटर्न पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन

21—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कृषि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में हिमाचल प्रदेश के पैटर्न पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)–

कृषि प्रसार सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण का गठन प्रदेश के सभी जनपदों में कर लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के रा0इ0 कॉलेज प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत में विज्ञान कक्षाओं का संचालन

22–श्री अजय भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राजकीय इण्टर कॉलेज प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत जिला अल्मोड़ा में लम्बे समय से विज्ञान की कक्षाएं खोले जाने हेतु निवेदन किया जाता रहा है ?

यदि हाँ, तो कब तक विज्ञान की कक्षाएं प्रारम्भ कर दी जायेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रायपुर में बालिका हाईस्कूल के भवन निर्माण हेतु भूमि तथा धन का आवंटन

23–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून जनपद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रायपुर में बालिका हाईस्कूल के भवन निर्माण हेतु भूमि तथा धन के आवंटन की व्यवस्था की गई है ?

यदि हाँ, तो कब तक भवन बनकर तैयार हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

उपयुक्त भूमि की उपलब्धता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के संगीत प्रभाकर तथा फाइन आर्ट्स में मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण

24–श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में निवास करने वाले संगीत प्रभाकर तथा फाइन आर्ट्स में मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण दिए जाने पर विचार किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या 448/XXIV(1)/2006–45/2004, दिनांक 13–6–2006 के द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय/संस्थान से एल0टी0/बी0एड0/बी0पी0एड0/डी0पी0एड0/सी0पी0एड0 (सी0पी0एड0 वर्ष, 1996–97 से पूर्व) तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्री की उपाधि संस्थागत छात्र के रूप में प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।

प्रदेश में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के आचार्यों एवं अनुदेशकों के वेतनमान बढ़ाये जाने पर विचार

25–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के आचार्यों एवं अनुदेशकों का वेतनमान बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

प्रदेश में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के आचार्यों एवं अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है।

शासनादेश संख्या वी0आईपी0 41/XXIV(1)/05–16/2004, दिनांक 07–10–05 एवं शासनादेश संख्या 924/XXIV(1)/2005–06/2004, दिनांक 08–02–06 द्वारा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के आचार्यों/अनुदेशकों का मानदेय रु0 1000/– से बढ़ाकर रु0 2500/– प्रतिमाह कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में राजकीय आदर्श विद्यालयों में तैनात अध्यापकों की संख्या तथा शिक्षा मित्रों की नियुक्ति

26–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में राजकीय आदर्श विद्यालयों में वर्तमान शिक्षा सत्र में कुल कितने अध्यापक तैनात हैं ?

क्या सरकार उक्त विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद उत्तरकाशी में राजकीय आदर्श विद्यालयों में कुल 30 अध्यापक कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आदर्श विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की तैनाती किये जाने का प्राविधान नहीं है।

उत्तरकाशी में क्षतिग्रस्त जिला लाइब्रेरी भवन का पुनर्निर्माण

27–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय में अवस्थित जिला लाइब्रेरी का भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण कई स्थानों से छत का पानी रिसता रहता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त लाइब्रेरी भवन का पुनर्निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

तकनीकी परीक्षणोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के रा0उ0मा0वि0 अठाली (भटवाड़ी) में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति

28–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अठाली (भटवाड़ी) से प्रधानाध्यापक को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी में वित्त एवं लेखाधिकारी पद पर सम्बद्ध किया गया ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र हित में उक्त विद्यालय में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

शीघ्र व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के उ0मा0वि0 खालसी का नाम शहीद हवलदार अतोलसिंह पंवार के नाम पर रखे जाने की माँग

29–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के ग्राम खालसी के शहीद हवलदार स्व0 अतोलसिंह पंवार 'शौर्यचक्र' (मरणोपरान्त) के नाम पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खालसी का नाम किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट के अन्तर्गत रा0इ0 कॉलेज बग्वाली पोखर, कुमाल्टा कलरौं व धामदेवल के भवनों का जीर्णोद्धार

30–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत रा0इ0कॉ0 बग्वाली पोखर, रा0इ0कॉ0 कुमाल्टा (द्वाराहाट) व रा0इ0कॉ0 कलरौं, रा0इ0कॉ0 धामदेवल (चौखुटिया) के भवन अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण हो चुके हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों के जीर्णोद्धार हेतु शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा अन्य विद्यालयों की स्थिति के दृष्टिगत यथासमय।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के बग्वाली पोखरी तथा अम्याड़ी (कफड़ा) के राष्ट्रीय कन्या हाईस्कूलों का उच्चीकरण

31–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील द्वाराहाट में रा0 कन्या हाईस्कूल बग्वाली पोखरी एवं रा0क0 हाईस्कूल अम्याड़ी (कफड़ा) को उच्चीकरण किये जाने की मांग क्षेत्र की जनता विगत वर्षों से करती आ रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार क्षेत्र की जनता की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए उक्त विद्यालयों का उच्चीकरण करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट के अन्तर्गत रा0इ0 कॉलेज दूनगिरी बटुलिया व धामदेवल में विषयों के प्रवक्ताओं व सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

32–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा अन्तर्गत रा0इ0कॉ0 दूनगिरी बटुलिया व रा0इ0कॉ0 धामदेवल में किन विषयों में प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के कितने पद रिक्त हैं ?

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

1–जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा द्वाराहाट के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज दूनगिरी में प्रवक्ता हिन्दी, संस्कृत, नागरिक शास्त्र के कुल 03 पद एवं सहायक अध्यापक व्यायाम का 01 पद रिक्त है।

2–राजकीय इण्टर कॉलेज बटुलिया में प्रवक्ता हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थ शास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं भूगोल के कुल 10 पद एवं सहायक अध्यापक सामान्य का 01 पद रिक्त है।

3–राजकीय इण्टर कॉलेज धामदेवल में प्रवक्ता हिन्दी, संस्कृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भूगोल के कुल 08 पद एवं सहायक अध्यापक के चित्रकला, व्यायाम के कुल 02 पद रिक्त हैं।

स्नातक वेतनक्रम के अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है तथा प्रवक्ता के रिक्त पदों पर तैनाती हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के अन्तर्गत प्रतापनगर के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

33—श्री फूल सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अधिकतर विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी हाँ।

जी हाँ।

इसी शैक्षिक सत्र में।

1—जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों को सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों की पदोन्नति से भरे जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

2—प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विशिष्ट बी0टी0सी0 की चयन प्रक्रिया गतिमान है।

3—सहायक अध्यापक, एल0टी0 वेतनक्रम के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कर चयन की कार्यवाही की जा रही है।

4—प्रवक्ता ग्रेड एवं प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के 10 कि0मी0 परिधि में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र पंजीकरण संख्या व तैनात अध्यापकों की संख्या का विवरण

34—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वर्तमान शिक्षण सत्र, 2006—07 में जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के आसपास शून्य से 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र पंजीकरण संख्या व तैनात अध्यापकों का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 89 पर)

जनपद उत्तरकाशी में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या तथा विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों का विवरण

35–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं तथा किन–किन प्राथमिक विद्यालयों में केवल शिक्षा मित्र ही तैनात हैं ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि एकल अध्यापक वाले विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद उत्तरकाशी में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 38 पद रिक्त हैं। 34 प्राथमिक विद्यालयों में केवल शिक्षा मित्र ही तैनात हैं।

एकल अध्यापक वाले विद्यालय में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षार्थियों के चयनोपरान्त शिक्षकों की तैनाती की जायेगी।

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 91 पर)

जनपद उत्तरकाशी में नवीन लघु कृषक मण्डियों की स्थापना

36–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में किन–किन स्थानों पर नवीन लघु कृषक मण्डियों की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है तथा कब तक प्रस्तावित मण्डियों की स्थापना कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)–

जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत सौली गाँव में एक लघु कृषक मण्डी की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है। जिलाधिकारी, उत्तरकाशी से चिन्हित भूमि को हस्तान्तरित करने का आग्रह किया गया है। भूमि हस्तान्तरण हो जाने के उपरान्त ही लघु कृषक मण्डी की स्थापना की कार्यवाही की जानी सम्भव हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के 29 गाँवों में जलागम परियोजना द्वारा वर्ष, 2005–06 हेतु सम्पादित कराये गये कार्यों का विवरण

37–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या कृषि एवं जलागम प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के 29 गाँवों में चल रही जलागम परियोजना में वर्ष, 2005–06 में अब तक क्या–क्या कार्य सम्पादित किये गये हैं ?

क्या सरकार गाँववार सम्पादित कार्यों व कार्यों पर व्यय धनराशि का ब्योरा उपलब्ध करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)–

चयनित ग्रामों में अब तक ग्रामीणों एवं ग्रामीण समुदाय के सदस्यों के क्षमता विकास हेतु ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण एवं कार्यशालायें की गई एवं फार्मिंग सिस्टम इम्प्रूवमेंट के अन्तर्गत खेतों के पुस्ता मरम्मत, उद्यान स्थापना प्रदर्शन, मौसमी बेमौसमी सब्जी प्रदर्शन, बायो/वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्शन, उच्च मूल्य फसल प्रदर्शन, सघन कृषि क्षेत्र प्रदर्शन, पशु आश्रय व नॉद निर्माण, चैफकटर वितरण, चारा फसल एवं नैपियर घास प्रदर्शन, जीरो इनर्जी कूल चैम्बर की स्थापना आदि कार्य किये गये।

जी हाँ।

गाँववार सम्पादित कार्यों व कार्यों पर हुए व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट 1 पर दृष्टव्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 93 पर)

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रा0इ0कॉ0 दूनागिरी में इण्टर स्तर पर "विज्ञान विषय" की स्वीकृति

38–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट तहसील अन्तर्गत रा0इ0कॉ0 दूनागिरी में इण्टर स्तर पर "विज्ञान विषय" की स्वीकृति दे दी गयी है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो कब तक उक्त विद्यालय को इण्टर स्तर पर विज्ञान वर्ग की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के वि0खं0 द्वाराहाट व चौखुटिया में बन्द तथा क्रियाशील हाईड्रम योजनाओं का विवरण

39–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड द्वाराहाट व चौखुटिया में कुल कितनी हाईड्रम योजनायें कार्य कर रही हैं तथा कितने हाईड्रम योजनायें बन्द हैं ?

क्या सरकार बन्द हाईड्रम योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र चालू करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट व चौखुटिया में कुल 17 हाईड्रम योजनायें हैं जिनमें से 12 योजनायें कार्य कर रही हैं तथा शेष 5 योजनायें बन्द हैं।

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में रा0इ0कॉ0 जोगत, कोटधार, गमटी व रा0उ0मा0वि0 रौन्तल तथा जिव्या कोटधार में शिक्षकों के रिक्त पदों पर तैनाती

40—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में रा0इ0कॉ0 जोगत, कोटधार गमटी, रा0उ0मा0वि0 रौन्तल व जिव्या कोटधार में शिक्षकों के कुल कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं ?

क्या सरकार छात्र हित में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

रा0इ0का0 जोगत में 07 पद, रा0इ0कॉ0 कोटधार गमरी में 10 पद, रा0उ0मा0वि0 रौन्तल में 03 पद तथा जिव्या कोटधार में 07 पदों सहित कुल 27 शिक्षकों के पद वर्ष 2004—05 से रिक्त चल रहे हैं।

जी हाँ।

इसी शिक्षा सत्र में।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत आचार्य एवं अनुदेशकों का वेतनमान बढ़ाने के सम्बन्ध में

41—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत आचार्य एवं अनुदेशकों के वेतनमान बढ़ाने की योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

प्रदेश में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के आचार्यों एवं अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है।

शासनादेश संख्या वी0आई0पी0 41/XXIV(1)/05—16/2004, दिनांक 07—10—05 एवं शासनादेश संख्या 924/XXIV(1)/2005—06/2004, दिनांक 08—02—06 द्वारा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के आचार्यों/अनुदेशकों का मानदेय रु0 1000/— से बढ़ाकर रु0 2500/— प्रतिमाह कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु भूमि दान करने वाले परिवारों के एक व्यक्ति को रोजगार देने का निर्णय

42–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु भूमि दान करने वाले परिवारों में एक व्यक्ति को रोजगार देने का निर्णय सरकार द्वारा कर लिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत पी0टी0ए0 शिक्षकों को मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में

43–श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत पी0टी0ए0 शिक्षकों की पूर्व नियुक्ति संख्या के अतिरिक्त पी0टी0ए0 शिक्षकों को मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में पत्रांक माध्यमिक 24774–89/पी0टी0ए0/29004–05, दिनांक 15 सितम्बर, 2004 के द्वारा निदेशक विद्यालयी शिक्षा द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं ?

यदि हाँ, तो निर्देश में दी गयी अन्तिम तिथि 05–09–2003 के बाद नियुक्त पी0टी0ए0 शिक्षकों को राजकोष से मानदेय का भुगतान किया गया ?

यदि हाँ, तो कितने शिक्षकों को तथा क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

04 शिक्षकों को। जनपद पौड़ी में 02 पी0टी0ए0 शिक्षकों के वर्ष, 1998–99 से कार्यरत होने के कारण तथा जनपद टिहरी में 02 पी0टी0ए0 शिक्षकों के सम्बन्ध में सही तथ्य उपलब्ध न कराये जाने के कारण। सही तथ्य ज्ञात होने पर जनपद टिहरी के 02 पी0टी0ए0 शिक्षकों को माह जुलाई, 2005 के बाद मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

जनपद पिथौरागढ के रा0इ0कॉ0 पॉखू में इण्टर स्तर पर गणित विषय की स्वीकृति

44–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रा0इ0कॉ0 पॉखू में इण्टर स्तर पर गणित विषय की स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय जनता लम्बे समय से माँग करती आई है ?

यदि हाँ, तो गणित विषय की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में वि0खं0 चिन्यालीसौड़ अन्तर्गत प्रा0वि0 वणगाँव, बदाल्डा, बागी, गड़त आदि विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती

45–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के 120 छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय वणगाँव सहित प्राथमिक विद्यालय बदाल्डा, बागी, गडत, जोखणी, मुरोगी आदि कई स्कूल शिक्षा मित्रों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं ?

क्या यह सत्य है कि माह अगस्त, 2006 में जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी के हस्ताक्षर से 110 प्राथमिक एवं 32 जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों का समायोजन सुगम क्षेत्रों में कर दिया गया ?

यदि हाँ, तो मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अध्यापक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

स्थानान्तरण सुगम क्षेत्रों में नहीं किया गया है।

जी हाँ।

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षितों के चयन एवं सहायक अध्यापकों की पदोन्नति से।

प्रश्न नहीं उठता।

46–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

प्रथम सोमवार के अता0 प्र0सं0 96 में स्थानान्तरित।

जनपद उत्तरकाशी के वि0खं0 भटवाड़ी, चिन्यालीसौड़ तथा मोरी के विद्यालयों में वर्ष, 2006 में जिला स्तर पर किये गये अध्यापकों के स्थानान्तरण का प्रकरण

47–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में माह अगस्त, 2006 में जिला स्तर पर किये गये 142 अध्यापकों के तबादले से 35 ओवर स्टॉफ वाले ब्लॉक भटवाड़ी में 23 और अध्यापक भेजकर विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ व मोरी के कई विद्यालय अध्यापक विहीन हो गये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जाँच करवायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

जनपद उत्तरकाशी में माह अगस्त, 2006 में जिला स्तर पर 141 अध्यापकों के तबादले किये गये हैं। विकास खण्ड भटवाड़ी में 23 अध्यापकों का स्थानान्तरण इन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की पदोन्नति से होने वाले रिक्त पदों की प्रत्याशा में विशेष परिस्थितियों में हुआ है। विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ व मोरी से आंशिक रूप से किये गये तबादलों से इन विद्यालयों में अध्यापक विहीन स्थिति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ व मोरी से आंशिक रूप से किये गये तबादलों से उन विद्यालयों में अध्यापक विहीन स्थिति नहीं है, तथा इन विद्यालयों में रिक्त पदों को सहायक अध्यापकों की पदोन्नति एवं विशिष्ट बी0टी0सी0 चयन से भरा जा रहा है।

उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालय गमटी का पुनर्निर्माण

48–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में प्राथमिक विद्यालय गमटी का भवन दैवीय आपदा से पूर्ण क्षतिग्रस्त है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष, 2007–08 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में विद्यालय भवन को पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तावित कर स्वीकृति के पश्चात् तत्काल पुनर्निर्माण कर दिया जायेगा।

जनपद उत्तरकाशी के नौगाँव के मातला में क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण

49–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय मातला का भवन जून, 2001 में आये भयंकर तूफान से पूर्ण क्षतिग्रस्त हुआ है और भवन के पुनर्निर्माण न होने से शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है ?

क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

शिक्षण कार्य बाधित नहीं है।

जी हाँ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष, 2007–08 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में विद्यालय भवन को पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तावित कर स्वीकृति के पश्चात् वर्ष, 2007–08 में पुनर्निर्माण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के संगठनात्मक स्वरूप के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों की तैनाती

50–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि शासनादेश संख्या 713/माध्यमिक/2003, दिनांक 05 सितम्बर, 2003 द्वारा शिक्षा विभाग का स्वीकृत संगठनात्मक स्वरूप के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों की पदस्थापना नहीं हो पायी है ?

यदि हाँ, तो उक्त अधिकारियों की तैनाती कब तक की जायेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

पदस्थापना की कार्यवाही गतिमान है।

उत्तरांचल लघु सिंचाई विभाग का पुनर्गठन एवं सृजित पदों का विवरण

51–श्री हरबंस कपूर–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल लघु सिंचाई विभाग का पुनर्गठन कर लिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त पुनर्गठन के अन्तर्गत विभाग में अधिशासी अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, अवर अभियन्ताओं के कुल कितने पद सृजित हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पदों के सापेक्ष नियमित पदोन्नति की गयी है ? यदि हाँ, तो कब ?

क्या यह सत्य है कि कुछ रिक्त पदों पर प्रभार दिया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त प्रभार देते समय वरीयता क्रम को ध्यान में रखा गया है ? यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

जी हाँ।

लघु सिंचाई विभाग के संरचनात्मक ढांचे में अधिशासी अभियन्ता के 14 पद, सहायक अभियन्ता के 38 पद तथा कनिष्ठ अभियन्ता के 145 पद सृजित हैं।

रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है।

जी नहीं। लघु सिंचाई विभाग में पुनर्गठन के पश्चात् किसी भी पद पर प्रभार नहीं दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के माध्यमिक स्तर तक के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में विज्ञान की प्रयोगशाला हेतु धनराशि बढ़ाने पर विचार

52–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में विज्ञान की प्रयोगशालाओं में प्रयोग सम्बन्धी सामग्री हेतु प्रयोगात्मक शिक्षा के मद में धनराशि बढ़ाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता

विधान सभा परिसर में गाड़ियों के प्रवेश के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब हम लोग यहां प्रवेश करते हैं तो हमारी गाड़ियों को अन्दर प्रवेश करा दिया जाता है। हमें छोड़कर गाड़ी बाहर चली जाती है। यदि कोई मा0 विधायक सत्र के चलते या किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना चाहे तो उनकी गाड़ियों को अन्दर नहीं आने दिया जाता है। अतः आपसे आग्रह है कि उनकी गाड़ी को, जब वे विधान सभा में आना चाहे, प्रवेश की अनुमति दी जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसकी व्यवस्था हो जायेगी। आज मैं आप लोगों को एक सूचना दे रहा हूँ कि आज उपवेशन के पश्चात् सूक्ष्म जलपान में आप सभी विधान सभा प्रांगण में आमंत्रित हैं, यहां ग्रुप फोटो भी खीची जायेगी। ताकि सनद रहे।

सदन की दर्शक दीर्घा से नारे एवं पर्चे फेंके जाने से हुई सदन की अवमानना के मामले में गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 10–10–2006 को सदन में प्रश्न काल के मध्य 12 बजकर 12 मिनट पर जब माननीय मंत्री वन एवं शहरी विकास, उत्तरांचल सरकार, श्री नव प्रभात, माननीय विधायक श्री हरबंस कपूर के प्रश्न का उत्तर सदन में दे रहे थे, उस वक्त दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति ने माननीय सदन में पर्चे फेंके तथा "परिसीमन में न्याय हो, परिसीमन में भौगोलिक परिस्थिति का भी ध्यान रखा जाये, जनसंख्या आधारित परिसीमन बन्द हो, परिसीमन आयोग वापस जाओ, गैर संवैधानिक परिसीमन बन्द हो, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल जिन्दाबाद" के नारे लगाये। दर्शक दीर्घा में तैनात विधान सभा रक्षकों ने तथा मार्शल, विधान सभा के निर्देश पर गये अन्य रक्षकों ने तुरन्त ही उक्त व्यक्ति को अपने वश में

करके उसे दर्शक दीर्घा से हटा दिया। माननीय सदन में फेंके गये पर्चों में "उत्तराखण्ड क्रान्ति दल जिन्दाबाद, परिसीमन में न्याय हो, परिसीमन में भौगोलिक परिसीमन का भी ध्यान रखा जाय, जनसंख्या आधारित परिसीमन बन्द हो, परिसीमन आयोग वापस जाओ, गैर संवैधानिक परिसीमन बन्द हो, 10 अक्टूबर, 2006, त्रिवेन्द्र पंवार, पूर्व अध्यक्ष, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल छपा है।

उक्त व्यक्ति को दर्शक दीर्घा से हटाने के पश्चात् मार्शल कार्यालय में लाया गया तथा उनकी तलाशी ली गयी, उसके पास से दर्शक दीर्घा प्रवेश–पत्र संख्या 3474 दिनांक 10–10–2006 प्राप्त हुआ। पूछने पर उन्होंने अपना नाम श्री त्रिवेन्द्र सिंह पंवार पुत्र श्री चन्दन सिंह पंवार, निवासी मकान नम्बर 265/5, देहरादून रोड, ऋषिकेश, स्थायी निवासी ग्राम भरपुरिया, पट्टी भदोरा, तहसील प्रतापनगर, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल बताया। जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि श्री त्रिवेन्द्र सिंह का दर्शक दीर्घा का प्रवेश–पत्र, संख्या 3474, श्री काशी सिंह ऐरी, माननीय विधायक, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल की संस्तुति से जारी किया गया था।

उक्त श्री त्रिवेन्द्र सिंह पंवार, पुत्र श्री चन्दन सिंह पंवार ने दर्शक दीर्घा से नारे लगाकर तथा माननीय सदन में पर्चे फेंककर माननीय सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया है और माननीय सदन का अपमान किया है।

इस सन्दर्भ में मेरा यह मत है कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालकर उक्त व्यक्ति ने अपराध किया है। मैं माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करूँगा कि सदन की दीर्घाओं के प्रवेश–पत्र हेतु संस्तुति करते समय विशेष सावधानी बरतें। संसदीय लोकतंत्र में विरोध प्रकट करने के अन्य भी तरीके हैं किन्तु सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने का कृत्य निश्चित रूप से निन्दनीय है। ऐसे कृत्यों के लिए दण्ड का प्राविधान है किन्तु मैं इस मत का भी हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को सुनवाई हेतु सदन में बुलवाये जाने से उनको अनावश्यक महत्व मिलेगा। अतः मैंने सदन की सहमति की प्रत्याशा में उक्त व्यक्ति को दिनांक 10 अक्टूबर, 2006 के अपरान्ह 04.00 बजे तक मार्शल की अभिरक्षा में रखे जाने को पर्याप्त दण्ड मानते हुए रिहा किये जाने के आदेश प्रदान किये। माननीय सदन कृपया इस पर अपनी सहमति प्रदान करने का कष्ट करें।

(सदन ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की)

नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री हरबंस कपूर, श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री मदन कौशिक, श्री अजय भट्ट, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री विशन सिंह चुफाल, श्री माल चन्द्र, श्रीमती आशा नौटियाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री बलबीर सिंह नेगी,

श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री मदन कौशिक, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की सूचना को नियम 300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सभी सूचनायें अस्वीकार की गयीं।

जनपद चमोली के वि0खं0 दशोली एवं जोशीमठ में दि0 25–26 अगस्त, 2006 को हुई भयंकर विनाशकारी अतिवृष्टि से कृषकों की फसलों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली एवं जोशीमठ में दिनांक 25–26 अगस्त, 2006 को हुई भयंकर विनाशकारी अतिवृष्टि से जनपद की सार्वजनिक निजी सम्पत्ति का काफी नुकसान हुआ है तथा काश्तकारों की खरीफ की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। इससे जनपद के विकास खण्ड दशोली एवं जोशीमठ के काश्तकारों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अतः प्रभावित क्षेत्र के समस्त काश्तकारों को खरीफ की फसल का एकमुश्त मुआवजा प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है। सदन से मेरा अनुरोध है कि उक्त समस्या के निदान हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली वि0स0 क्षेत्र के रा0इ0कॉ0 कठूड हिन्दाव के अध्यापकों का विनियमितीकरण न होने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलवीर सिंह नेगी–

जनपद टिहरी गढवाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष, 2003–04 में शासन द्वारा अशासकीय विद्यालय कठूड़ हिन्दाव का रा0इ0कॉ0 कठूड़ हिन्दाव के रूप में प्रान्तीयकरण कर दिया है। यहाँ के समस्त अध्यापक फलित पदों पर अल्पकालिक रूप से नियुक्त हुए थे। क्योंकि अशासकीय विद्यालयों में अल्पकालिक नियुक्तियों का प्राविधान था, सरकार ने अशासकीय विद्यालयों में 7 अगस्त, 1993 से 24 मार्च, 1999 तक अल्पकालिक अध्यापकों के विनियमितीकरण का अधिनियम बना दिया है किन्तु शिक्षा विभाग/निदेशालय प्रान्तीयकृत अध्यापकों पर इसे लागू नहीं किया जा रहा है। विद्यालय के अध्यापकों के विनियमितीकरण न होने के कारण इस विद्यालय के कार्यरत अध्यापक 10 वर्षों की सेवा करने के बाद भी चयन वेतनमान से वंचित हैं और राजकीय सेवा में

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इनको नियुक्ति भी नहीं मिल पा रही है। जिस कारण 20 माह से वेतन भुगतान रोका गया है। जिस कारण इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी है। इससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को नियम 300 के अन्तर्गत लेकर शासनादेश के अन्तर्गत इन्हें भी विनियमितीकरण की परिधि में लाये जाने तथा राजकीय सेवा में नियुक्ति दिलाने की सरकार को प्रभावी निर्देश निर्गत करने की कृपा की जाए क्योंकि इनकी सेवायें 11 वर्ष से ऊपर हो चुकी हैं।

नैनीताल नगर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेक्षागृह का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, नैनीताल शहर प्रदेश में सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है तथा यहां से सांस्कृतिक कार्य में दीक्षित होकर बहुत से नौजवान देश की प्रसिद्ध नाट्य एवं सांस्कृतिक संस्थाओं में चयनित हुए हैं। यहां से निकलकर ये कलाकार फिल्मों एवं टेलीविजन में अभिनय, निर्देशन एवं अन्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं।

शहर में रंगकर्मियों द्वारा वर्कशॉप, थियेटर का आयोजन प्रायः चलता रहता है। परन्तु उनके प्रस्तुतीकरण के लिए उचित प्रेक्षागृह न होने से सांस्कृतिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

शासन द्वारा जिला प्रशासन नैनीताल तथा नगर पालिका परिषद् नैनीताल से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव मांगे गये थे। जो पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं।

मैं सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े इस लोक महत्व के विषय पर शासन से त्वरित प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

प्रदेश के विभिन्न निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर कोई नीति न होने के कारण उत्तरांचल के युवाओं में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्रदेश के विभिन्न, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर कोई नीति न होने के कारण उत्तरांचल के युवाओं में रोष व्यापत है। प्रवेश नीति के न होने के कारण इसमें अनेक प्रवेश, प्रदेश के बाहर के लोगों को दिये हैं। प्रवेश के समय डोनेशन लेकर प्रवेश की शिकायतें अनेक बार सम्बन्धित अधिकारियों एवं मंत्री

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को की गयी हैं लेकिन कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रवेश प्रक्रिया इसी प्रकार त्रुटिपूर्ण है और प्रवेश केवल उन्हीं को दिया जाता है जिनसे अधिक फीस वसूली जाती है। योग्यता को दर-किनार किया जाता है।

विषय अविलम्बनीय, लोक महत्व का एवं तात्कालिक है। अतः प्रभावी कार्यवाही हेतु सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि वि0खं0 मुख्यालय कस्बे में मंदाकिनी नदी से हो रहे भूमि कटाव के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा देवी–

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग में केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अगस्त्यमुनि विकास खण्ड मुख्यालय कस्बे में मन्दाकिनी नदी से हो रहे कटाव की ओर लाना चाहती हूँ। मान्यवर, अगस्त्यमुनि विकास खण्ड मुख्यालय कस्बे में मन्दाकिनी नदी से हो रहे कटाव के कारण मुख्य बाजार अगस्त्यमुनि, विजयनगर, जवाहर नगर तथा सौड़ी आदि बाजारों को खतरा बनता जा रहा है। नदी के कटाव से वहां पर निर्मित मकानों, कृषि योग्य भूमि एवं सड़क को कभी भी भूस्खलन के कारण भारी नुकसान हो सकता है। मरम्मत के दिनों में स्थानीय जनता, व्यापारी बन्धु एवं सभी मकान मालिक भयभीत रहते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए नदी के दोनों ओर से सी0सी0 चैकडेमों का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस सन्दर्भ में क्षेत्रीय जनता निरन्तर ही मांग करती आ रही है, मगर अभी तक शासन-प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है, जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व्याप्त है और कभी भी जनान्दोलन का रूप ले सकते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करती हूँ।

राज्य में प्रत्येक वि0खं0 में कम से कम दो हाईस्कूल अथवा इण्टर कॉलेज में वाणिज्य विषय खुलवाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में खोले जा रहे नये डिग्री कॉलेजों में वाणिज्य विषय को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही पुराने कॉलेज, जहां वाणिज्य विषय नहीं हैं, में भी खोला जा रहा है।

लेकिन सरकार ने जहां डिग्री स्तर पर वाणिज्य विषय को खोलने में पूरी तत्परता दिखाई है वहीं इस तथ्य की पूरी तरह अनदेखी की है कि प्रदेश भर में हाईस्कूल एवं इण्टर स्तर पर मात्र 10 से 15 प्रतिशत कॉलेजों में ही वाणिज्य विषय है।

अतः रोजगार परक विषयों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड के कम से कम दो इण्टर अथवा हाईस्कूल कॉलेज में वाणिज्य विषय खुलवाया जाना चाहिए।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत शाहनगर प्रा0 विद्यालय पर मार्ग अत्यन्त संकरा होने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड देहरादून द्वारा विधान सभा पहुँचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का निर्माण विगत एक वर्ष से किया जा रहा है। यह मार्ग विधान सभा के सामने से शाहनगर, डिफेन्स कॉलोनी मोड़ एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी केदार पुरम होते हुए दून विश्वविद्यालय मार्ग पर मिलेगा। देहरादून–हरिद्वार मुख्य मार्ग के बाधित होने पर विधान सभा पहुँचने के लिए यह वैकल्पिक मार्ग होगा।

बड़े खेद का विषय है, उक्त मार्ग का डामरीकरण व चौड़ीकरण लम्बे अन्तराल के बावजूद नहीं हो पाया। उक्त मार्ग शाहनगर प्राथमिक विद्यालय, डिफेन्स मोड़ पर अत्यन्त संकरा है। हेयर पिन की तरह मोड़ है जिसे चौड़ा किया जाना चाहिए। विभागीय अधिकारियों को कई बार उक्त सम्बन्ध में अवगत कराया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। भारी वाहन चलने से वायु प्रदूषण हो रहा है। सड़क पर गड्ढों में पानी भरा रहता है जिससे मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं तथा बीमारी का खतरा उत्पन्न हो सकता है। मार्ग दुर्घटनायें तो कई बार हो चुकी हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।

उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 15 में दिये गये प्राविधान के अनुसार उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखती हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006

सचिव विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 3 के अधीन उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006 पर राज्य के विधान मण्डल के विचार हेतु प्राप्त महामहिम राष्ट्रपति के आदेश तथा विधेयक की प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2005–06) का आठवां प्रतिवेदन

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2005–06) का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2005–06) का नौवां प्रतिवेदन

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2005–06) का नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तरांचल विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (2005–06) का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (2005–06) का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तरांचल विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (2005–06) का तृतीय प्रतिवेदन

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (2005–06) का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तरांचल विधान सभा की आश्वासन समिति (2005–06) का सातवां प्रतिवेदन

चौधरी यशवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा की आश्वासन समिति (2005–06) का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अजय भट्ट द्वारा उद्यान मंत्री तथा प्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि0 चौमूधार के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री अजय भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपने पत्र दिनांक 17 जनवरी, 2005 द्वारा यह अभिसूचित किया गया कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौमूधार, अल्मोड़ा के उच्चीकरण हेतु उद्घाटन के अवसर पर माननीय सदस्य को सूचना न दिये जाने से उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ है। अतः उन्होंने उद्घाटनकर्ता माननीय उद्यान मंत्री, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल तथा प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चौमूधार के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

उपरोक्त विषय में दिनांक 23 मार्च, 2006 को मैंने सदन को निम्न स्थिति से अवगत किया:–

"माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित, उक्त सूचना के सम्बन्ध में माननीय उद्यान मंत्री तथा माननीय शिक्षा मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। माननीय उद्यान मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 22 मार्च, 2005 द्वारा अवगत कराया कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौमूधार, अल्मोड़ा के निवेदन पर उनके द्वारा दिनांक 8 सितम्बर, 2004 का उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। दिनांक 7 सितम्बर, 2004 की रात्रि को माननीय सदस्य, श्री अजय भट्ट द्वारा कोलकाता से उनको सूचना दी गई कि वे पार्टी कार्य से कोलकाता में हैं, अतः उक्त कार्यक्रम में भाग नहीं ले पायेंगे। तद्नुसार उन्होंने प्रधानाचार्य से सम्पर्क किया कि कार्यक्रम को स्थगित किया जाए ताकि अगली तिथि को माननीय सदस्य भी सम्मिलित हो सकेंगे, लेकिन प्रधानाचार्य द्वारा कहा गया कि अब इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जो तैयारी एवं प्रचार–प्रसार क्षेत्र में किया जा चुका है, इसे स्थगित करने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रधानाचार्य के विशेष आग्रह एवं तात्कालिक परिस्थिति को समझते हुए पूर्व घोषित कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया जा सका। इसके पीछे किसी भी प्रकार से उनकी मंशा माननीय सदस्य को ठेस पहुंचानी नहीं थी।

दूसरी ओर माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 3 अक्टूबर, 2005 द्वारा अवगत कराया कि सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय के उच्चीकरण के उद्घाटन के समारोह का आयोजन समस्त क्षेत्रवासियों, जिनके बच्चे विद्यालय में अध्ययनरत् थे, के

द्वारा किया गया। विद्यालय के उच्चीकरण के उद्घाटन समारोह की जानकारी उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से दिनांक 7 सितम्बर, 2004 को दूरभाष पर तथा उसी दिन सांय जिला पंचायत सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई। समयाभाव के कारण प्रधानाचार्य स्तर से उद्घाटन की सूचना माननीय सदस्य को नहीं दी जा सकी। माननीय उद्यान, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग मंत्री तथा जिला पंचायत सदस्य को उद्घाटन हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा ही आमंत्रित किया गया। फिर भी माननीय सदस्य द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के सम्बन्ध में भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य को कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 सितम्बर, 2005 द्वारा सचेत कर दिया गया है।"

इससे पूर्व कि मैं सदन को पीठ के निर्णय से अवगत करवाता, माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट द्वारा अतिरिक्त तथ्यों से अवगत कराया गया कि उन्होंने कोलकाता से माननीय उद्यान मंत्री को फोन किया था कि उनकी सूचना के अनुसार मंत्री महोदय उनके विधान सभा क्षेत्र में किसी विद्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उनके अनुसार उत्तर में मंत्री जी ने स्पष्ट किया था कि वे उत्तर प्रदेश में भी रहे हैं और वहां की परिपाटी को ध्यान में रखते हुए यदि वे उद्घाटन करने जायेंगे तो माननीय सदस्य को जरूर बुलायेंगे। श्री अजय भट्ट माननीय सदस्य द्वारा श्री भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री के कथन को उद्धृत किया गया कि उन्होंने भी इस बात पर बल दिया था कि किसी विधान सभा क्षेत्र में मंत्रीगण के कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक को आमंत्रित किया जाय। माननीय सदस्य द्वारा यह भी कहा गया कि वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा भी कई बार इस बारे में सदन में आश्वासन दिया गया है। किन्तु माननीय सदस्य को उद्घाटन में न बुलाए जाने हेतु माननीय उद्यान मंत्री का स्पष्टीकरण है कि उपरोक्त कार्यक्रम क्षेत्रीय जनता द्वारा आयोजित किया गया। उन्होंने प्रश्न उठाया कि सरकारी कार्यक्रम को क्षेत्रीय जनता कैसे आयोजित कर सकती है। माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ मंत्रियों और शासन दल के सदस्यों द्वारा परम्पराओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। पीठ द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों में क्षेत्रीय विधायकों को आमंत्रित किये जाने सम्बन्धी निर्देशों के अनुपालन के विषय में माननीय उद्यान मंत्री ने सदन में स्पष्ट किया था कि शासन पीठ का सम्मान करता है और पीठ से जो निर्देश जारी किए जाते हैं उनका अनुपालन किया जाता है। उन्होंने श्री अजय भट्ट की इस बात से असहमति प्रकट की कि उन्हें कार्यक्रम में न बुलाये जाने से उनके संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है। उद्यान मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी समारोह में किन–किन व्यक्तियों को बुलाया जाना है इसका निर्णय समारोह के आयोजक ही तय करते हैं।

माननीय उद्यान मंत्री एवं माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा पूर्व में उपलब्ध की गई वस्तुस्थिति की जानकारी तथा दिनांक 23 मार्च, 2006 के उपवेशन में माननीय सदस्य

श्री अजय भट्ट एवं माननीय उद्यान मंत्री को सुनने के उपरान्त मैं अनुभव करता हूँ कि क्षेत्रीय विधायक को इस प्रकार के कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाना चाहिए तथा उन्हें पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। माननीय विधायक को आमन्त्रण हेतु संवैधानिक अधिकार तो परिभाषित नहीं है, तथापि जनतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे कार्यक्रमों में क्षेत्रीय विधायक की सहभागिता हमारी जनतांत्रिक प्रणाली को पुष्ट ही करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित सूचना तथा माननीय उद्यान मंत्री तथा माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा उपलब्ध कराई गई वस्तुस्थिति की जानकारी के बाद मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उक्त प्रकरण में विशेषाधिकार हनन की अवहेलना तथा अवमान का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, मैं उपर्युक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन की अवहेलना तथा अवमान के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूँ।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2006

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करती हूँ।

उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2006

*पंचायती राज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) विधेयक, 2006

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करती हूँ।

नियम 58 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 58 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो श्री काशी सिंह ऐरी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री प्रकाश पंत, श्री हरबंस कपूर, श्री अजय भट्ट, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री मदन कौशिक, श्रीमती आशा देवी, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री विशन सिंह चुफाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री अनिल नौटियाल, श्री माल चन्द्र, श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा श्री नारायण पाल की हैं। मैं इनमें से श्री काशी सिंह ऐरी, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री माल चन्द्र तथा श्री अजय भट्ट, श्री नारायण पाल जी की सूचना को नियम 58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मानीय अध्यक्ष जी, नियम 58, जो नई नियमावली के अन्तर्गत है, उसके अन्तर्गत जो विषय मैंने उठाया है वह पूरे प्रदेश को प्रभावित करने वाला है और बहुत ही अविलम्बनीय है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि इस प्रदेश में विभिन्न विभागों में संविदा, दैनिक वेतन अथवा तदर्थ रूप से हजारों कर्मचारी कार्यरत् हैं और वे सारे लोग समय–समय पर सेवाओं को विनियमितीकरण किये जाने की मांग करते रहे हैं और सरकार भी आश्वासन देती रही है और कई मामलों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सम्बन्धित विभागों के माननीय मंत्रीगणों ने घोषणा की है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। मान्यवर, तदर्थ, संविदा अथवा दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले जो कार्मिक हैं, जिसमें विभिन्न श्रेणी के कार्मिक हैं, अधिकारी भी हैं उनके विनियमितीकरण को लेकर ऊहापोह की स्थिति आ गई। मेरी जानकारी में आया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित कर राज्य सरकारों से कहा कि 6 महीनों के भीतर जो विभिन्न विभागों में संविदा, तदर्थ एवं दैनिक वेतन के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में सरकार क्या सोचती है, सरकार ने कैसे उनकी नियुक्ति की है, किस आधार पर की, किन नियमों में नियुक्त किया, ऐसे कई बिन्दुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा और मेरी जानकारी में यह भी है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में उच्च स्तर पर इसको देखने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। मान्यवर, 32 हजार से ज्यादा कार्मिक हैं तो उनको विनियमितिकृत करने के बारे में सरकार का क्या प्लान है, क्या रूप रेखा है, क्या करना चाहती है ? इस पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी, लेकिन आज तक प्रदेश के उन हजारों कार्मिकों को जानकारी नहीं है कि उस समिति ने उनके लिए क्या किया है।

मान्यवर, मैं संज्ञान में लाना चाहूँगा कि मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय का जो संदर्भ दिया, वह 10 अप्रैल, 2006 को आदेश हुआ था और आज 11 अक्टूबर, 2006 है और 6 महीने की समयावधि थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कहा था कि 6 महीने के भीतर आप बतायें, जो ऐसे कार्मिक हैं, उनके भविष्य के बारे में आप कया फैसला करेंगे, किस तरह से करेंगे ? मान्यवर, 6 महीने की अवधि बीत गई है और मेरी जानकारी में है कि सरकार फैसला नहीं कर सकी और मेरी जानकारी में है कि सरकार ने यह सोचा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जाकर समय सीमा बढ़ाई जाये। लेकिन मान्यवर, आज तक इसकी जानकारी हमको नहीं मिली। आने वाले समय में उनके बारे में सरकार ने इसे गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इसी सदन में एक अधिनियम पारित हुआ जो कि पी0टी0ए0 शिक्षकों को विनियमित करने का अधिनियम है, अभी तक उनके विनियमितीकरण की नियुक्ति अधर में लटकी हुई है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने व्यवसायिक शिक्षकों को कहा

कि तकनीकी शिक्षा विभाग में या अन्य विभागों में जहाँ भी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पद होंगे उन्हें वहाँ समायोजित कर देंगे, उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट घोषणा की, लेकिन उनका मामला भी अटक गया है, वह निस्तारण होने से बच गया है।

मान्यवर, अधिनियम में कहा कि हम सारे पी0टी0ए0 शिक्षकों को 2005 तक विनियमित कर देंगे वह भी अटका हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि 10 अप्रैल, 2006 को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को आज 6 माह की अवधि पूरी हो गयी है और सरकार सोई हुई है, आने वाले समय में इन 32–35 हजार कार्मिकों के भविष्य का क्या होगा ? इन कार्मिकों के अन्दर एक संशय का वातावरण है, वह अपने भविष्य को लेकर चिन्तित हैं। उससे सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है जिसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वह सोच रहे हैं कि हम काम करें या न करें। यह कार्मिक संविदा, तदर्थ और दैनिक वेतन पर हजारों की संख्या में हैं। सरकार ने इनके भविष्य के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। मान्यवर, उनके परिवारों में भी ऊहापोह की स्थिति है। उनमें एक आक्रोश पनप रहा है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व और गम्भीर विषय पर सदन की आज की सारी कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा किये जाने की माँग करता हूँ।

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 41 में पी0टी0ए0 शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्थान्तर्गत प्रबन्ध समिति द्वारा 05–09–2003 तक अपने निजी स्रोतों से सेवायोजित ऐसे अंशकालिक अध्यापक/पी0टी0ए0 शिक्षक, जिनके लिये तत्समय नियमानुसार पद सृजित थे और जो संगत पद हेतु विहित अर्हतायें पूर्ण करते हों एवं जिन्हें राजकोष से मानदेय का संदाय अनुमन्य किया गया हो, को प्रबन्ध समिति द्वारा तदर्थ नियुक्ति दिये जाने की व्यवस्था की गई है। यद्यपि उक्त अधिनियम में पी0टी0ए0 शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति दिये जाने की व्यवस्था की गई है परन्तु इसी बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील (सिविल) 3595–3612/1999 में दिनांक 10–4–2006 में निर्णय दिये गये हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के विरुद्ध की गई नियुक्तियों का विनियमितीकरण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अब यह जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, यह फैसला पहले आ चुका है इसलिए इसमें कठिनाई यह हो रही है कि हम सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना कैसे कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने तीन–चार बिन्दु उठाये हैं, इसमें हम विचार कर रहे हैं।

मान्यवर, इसमें विज्ञापन जारी किये गये या नहीं इन सारी बातों की विधि विभाग में विवेचना हो रही है इसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकल पायेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पूरे भारत में असर हो रहा है। जहाँ तक विनियमितीकरण का

मामला है, सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षकों की बात है। हमने कहा था इन व्यावसायिक शिक्षकों को हम समायोजित करेंगे। हमने जी0ओ0 भी कर दिया है। इनको आयु सीमा में छूट मिलेगी। जितने वर्ष इन्होंने व्यावसायिक शिक्षक के रूप में काम किया है उतने वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जायेगी। ठीक इसी प्रकार से हमने लिपिकीय वर्ग के लिए भी जी0ओ0 किया है। व्यावसायिक शिक्षक को शिक्षा विभाग के लिपिकीय पदों में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी। नये विद्यालयों में लिपिकीय पदों की भर्ती में इनको आयु सीमा में छूट दी जायेगी। जहाँ तक तकनीकी रूप से जो प्रशिक्षित हैं उनको समायोजित करने की बात है, तकनीकी शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं वे भी इस मामले को पूरी संवेदनशीलता के साथ दिखवा लेंगे। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है, हमारी मंशा बिल्कुल नेक है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, उसकी वजह से माननीय सदस्य भी समझते हैं कि हमारी मजबूरी है। इस सम्बन्ध में विधि विभाग से राय ली जा रही है, विधि विभाग की राय मिलने के बाद ही कोई कार्यवाही होगी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, हमने अपनी सूचना में उदाहरण भी दिये थे। दूसरा, हमने कहा था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा था उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है। माननीय मंत्री जी ने तो अपने विभाग की बात कह दी। अब मैं सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बैठी हैं, उनसे यह जानना चाहता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय का यह फैसला 10 अप्रैल, 2006 को आया था। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसके बाद सरकार ने इस गम्भीर विषय पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इसको निस्तारित करने का प्रयास किया। लेकिन 6 महीने के समय में सरकार ने उन कार्मिकों के हित को देखते हुए, उच्चतम न्यायालय ने जो भी बिन्दु उठाये थे कि विज्ञापन किया गया या नहीं, चयन के लिए समिति बनायी गयी या नहीं। ये बिन्दु उच्चतम न्यायालय ने उठाये हैं। लेकिन मैं यह यांद दिलाना चाहूँगा कि जिस रूप में भी इन्हें चयनित किया गया हो, चाहे ये तदर्थ हों या संविदा में हों, इनके प्रति सरकार जिम्मेदार है। अगर वह गलत तरीके से, अनियमित है, तो वह भी सरकार की जिम्मेदारी है। चाहे पहली सरकार के समय की नियुक्ति हो या आपकी सरकार की हो, दोनों की जिम्मेदारी अब सरकार की है। यदि वह नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के विरुद्ध हुई हैं, वैसे तो सभी नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के अनुसार ही होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी विभाग में सरकार के अधिकारियों द्वारा ऐसी नियुक्तियां की गई हैं तो अब उनकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की है। उच्चतम न्यायालय का आदेश आ गया है, सरकार ने क्या योजना बनाई है, उन 32–34 हजार कर्मचारियों का क्या होगा ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, जितनी चिन्ता माननीय सदस्य की है, उससे कम चिन्ता इस बारे में हम लोगों की भी नहीं है। कैबिनेट ने दो बार इस पर विचार किया है और जो विधिक लोग हैं, जो लॉ एक्सपर्ट हैं, उनसे भी राय ली गई है। क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने संविधान के 14 और 16वें अनुच्छेद के पालन की बाध्यता कर दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश बहुत कठोर है, 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने की भी बात उन्होंने की है। लेकिन हमारा नया राज्य है और मात्र 6 वर्ष ही हमारे राज्य को बने हुये हैं। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी शर्तों को शिथिल करने की अपील हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय से करें। लॉ एक्सपर्ट्स की राय हम इस बारे में ले रहे हैं। 10 अक्टूबर को समय पूरा होने की बात भी आपने कही तो इस बारे में 2 माह से लगातार अध्ययन हो रहा है। यह समय जो प्रोसेस शुरू करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, इस बारे में हम लोग लगातार राय मशविरा कर रहे हैं कि उनमें ऐसे कौन–कौन से अंश हैं जिसके शिथिलीकरण की अपील हम कर सकते हैं। इसके लिए काफी तैयार होकर जाना होगा यदि हल्के ढंग से जायेंगे तो वह हमारी अपील को रिजेक्ट कर देंगे। चूँकि यह माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है और उनकी पूरी बेंच ने यह निर्णय लिया है।

यह भी सही है कि हमने चीफ सेक्रेट्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है जो इस सारे मामले को देख रही है। वह समिति इस बारे में अध्ययन कर रही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के पास हम किन–किन बातों को रख सकते हैं, किन–किन मुद्दों पर हम अपील कर सकते हैं। अन्य कुछ राज्यों ने जहां पर भी यह स्थिति आई है, हमें पता चला है कि कुछ राज्यों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की है, तो ऐसे प्रकरणों को भी हमने अन्य राज्यों से मंगा लिया है, शिथिलता के रास्ते भी तलाश किये जा रहे हैं। हमारी सरकार ने मन बना लिया है कि विधिक व्यवस्था के अन्तर्गत हम कैसे इन्हें नियमित कर सकते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हमें इसमें जरूर सफलता मिलेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को भी निर्देशित किया है कि वह इसका पालन सुनिश्चित करें। निर्णय देने के बाद भी माननीय उच्चतम न्यायालय वस्तु स्थिति के आधार पर विचार कर सकता है। हम भी प्रयास करेंगे कि हमारे राज्य को बने अभी मात्र 6 साल ही हुये हैं तो इस आधार पर हमें शिथिलता मिल जाये। इसके लिए हम माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, क्या सरकार के पास उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए समय है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एडवोकेट जनरल और टॉप लॉ एक्सपर्ट्स, प्रदेश के मुख्य सचिव और लॉ सेक्रेट्री के माध्यम से प्रयास शुरू कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री काशी सिंह ऐरी एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं उत्तरांचल की एक महत्वपूर्ण सड़क की ओर आपका और इस पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, कण्डी रोड से होकर हम रामनगर से कोटद्वार और हरिद्वार आते हैं। इस सड़क की हालत बहुत खस्ता है। इसमें जगह–जगह गड्ढे हो गये हैं, पुल टूटे हुए हैं। इस सड़क के लिए आज रामनगर और पौड़ी के लोग ही आन्दोलनरत नहीं हैं, अपितु पूरे उत्तरांचल की जनता इसके लिए आन्दोलनरत है। अभी पिछले दिनों जब माननीय प्रधानमंत्री जी नैनीताल आये थे तो इस सड़क के लिए आन्दोलन करने वाले हमारे भाई–बहन उनसे मिलने गये तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कण्डी रोड, कुमाऊँ मण्डल और गढ़वाल मण्डल के बीच की दूरी को कम करने का महत्वपूर्ण साधन है। मैं कई बार माननीय वन मंत्री जी से कह चुका हूँ कि टनकपुर, रामनगर, कोटद्वार और ऋषिकेश के लिए सड़क बनायी जाय। यदि यह सड़क बन जाएगी तो गढ़वाल और कुमाऊँ के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसलिए इस सड़क का बनना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही इस सड़क के बनने के बाद अभी जो डबल टैक्स लगता है, वह भी खत्म हो जाएगा।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी जो लोग रामनगर से कोटद्वार जाना चाहते हैं, उनको बिजनौर होकर जाना पड़ता है। इस रोड के बनने से कुमाऊँ के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। मेरा निवेदन है कि टनकपुर, हरिद्वार, रामनगर, कोटद्वार और ऋषिकेश को मिलाने वाली सड़क बनायी जाय। मैं स्वीकार करता हूँ कि माननीय वन मंत्री जी बोलेंगे कि वन अधिनियम है। यह भी कहेंगे कि वहां पर जिम कार्बेट पार्क है और राजा जी नेशनल पार्क है। आप यह भी कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है। मैं पिछले 4 वर्षों से इस सड़क को बनाने के लिए बल दे रहा हूँ लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको किस प्रकार से इसका सल्यूशन निकालना चाहिए। सरकार के पास न्यायिक विभाग है। सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर है तो वह उस पर पहल करे। एक प्रस्ताव आया था कि बिजनौर की सीमा से होकर

इस सड़क का निर्माण किया जाय। मैं कहना चाहता हूँ कि जो सड़क पहले से बनी है, उसको ठीक करने में कोई वृक्ष पातन नहीं होगा। जहां-जहां पर पुलिया या पुल टूटे हैं और गड्ढे पड़े हैं, उनको दुरुस्त करना होगा।

मैं माननीय वन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस सड़क के बनने से अवैध पातन पर रोक लगेगी, अवैध शिकार पर रोक लगेगी। यह सड़क वन विभाग के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। यह अविलम्बनीय विषय है। जनता को यातायात की सुविधा नहीं मिल पा रही है। आज कुमाऊँ मण्डल से आने वाले लोगों को बिजनौर होकर कोटद्वार और हरिद्वार आना पड़ रहा है। यह सड़क बन जाएगी तो यातायात की सुविधा मिल जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ कि यह लोक महत्व का विषय है साथ ही माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस सड़क पर यदा-कदा बसें चलती हैं। रोजाना बसें नहीं चलतीं। मेरा निवेदन है कि यह सड़क कुमाऊँ मण्डल और गढ़वाल मण्डल को जोड़ेगी। मान्यवर, यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा चार वर्ष से अधिक व्यतीत किये जा चुके हैं और अब कम से कम तीन माह के अन्दर गढ़वाल और कुमाऊँ के बीच की दूरी को कम करने के लिए इस मार्ग का निर्माण करा दें ताकि उत्तरांचल की जनता का भला हो सके और डबल टैक्स से छुटकारा मिल जाए।

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा दी गई सूचना सही है। इस समय कण्डी मार्ग के सम्बन्ध में स्थानीय निवासियों द्वारा एक आन्दोलन चलाया जा रहा है। जिस मार्ग का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस मार्ग के एक छोटे से भाग पर 2001 में 6841 वृक्षों का पातन हुआ। इस पातन के पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय में एक वाद दायर किया गया। इस वाद की संख्या आई0ए0-2 है। यह मूल रिट याचिका संख्या 47/1998 का भाग है। यह याचिका इस अनुरोध के साथ सर्वोच्च न्यायालय में दायर की थी कि किसी भी नेशनल पार्क क्षेत्र के अंदर कोई भी नया मोटर मार्ग न बनाया जाए। यह अभी विचाराधीन है। मान्यवर, वाद संख्या आई0ए0-2 के सम्बन्ध में हमने सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवेदन दाखिल किया और 25 नवम्बर, 2005 को उच्च न्यायालय ने कोटद्वार-गूजरसोत-किकरीसोत-मोगपुर-कुआंखेड़ा-कालूवाला-पीलीडाम-अंगदरपुर-जसपुर-पतरामपुर-मालधन-हाथीडंगर-रामनगर तक का कुल 138.7 कि0मी0 का संरेखण पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के साथ विचार-विमर्श के बाद स्वीकार किया है।

मान्यवर, यह मार्ग उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल दोनों राज्यों के भागों से गुजरता है। मान्यवर, इस मार्ग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह मार्ग वन क्षेत्र को विभाजित करता है तथा यह वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अन्दर आता है, इस समस्या का कैसे हल

निकाला जाय, इसके लिए एक अन्य प्रकरण का संज्ञान लेते हुए इसका हल हमारी समझ में यह आया है कि वहाँ पर फ्लाई ओवर बना दिया जाए ताकि जंगली जानवरों के आवागमन में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, यही सर्वोच्च न्यायालय की भी मुख्य आपत्ति है जो जंगली जानवरों से सम्बन्धित है। मान्यवर, यह मार्ग उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। जहाँ पर हमारी सुरक्षा दीवार बनी हुई है वहाँ पर फ्लाई ओवर का निर्माण होगा तो वृक्ष का पातन भी बहुत कम सीमा तक होगा। इस संरेखण के बनने के बाद भी हमारी समस्या का पूरा हल नहीं होता है और समस्या के हल के लिए हम प्रयासरत हैं। हमने इसमें स्थानीय निवासियों की मांग के अनुरूप निर्णय लिया है और वन संरक्षक महोदय को आदेशित किया है कि वे उच्च न्यायालय में मार्ग के निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु तैयारी करें और एक फीजिबेलिटी सर्वे करा लें। इस कार्य के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लि0 को निर्देशित करें तथा डिटेल प्रोजेक्ट बनाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त की जाए।

मान्यवर, भारत सरकार के आदेश संख्या 11–48/202, एफ0सी0, दिनांक 30 अप्रैल, 2005 द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि संरक्षित क्षेत्रों में मार्ग के निर्माण से पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य है। मान्यवर, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता को आबद्ध करते हुए इस नये समरेखण की स्वीकृति के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाए। वर्तमान में यह मार्ग कच्चा है। मान्यवर, आप कह रहे हैं पुल टूटा हुआ है, जबकि उसमें पुल है ही नहीं। अभी भी इसमें बस सेवाएं चल रही हैं। इस वर्ष जनवरी से जून तक 94 बसें तथा 554 छोटे वाहनों का प्रयोग किया जा चुका है। मान्यवर, वर्ष, 2001 में जिस पातन का जिक्र किया है, इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय में हमें लगभग चार वर्ष तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समय लगा। मान्यवर, केन्द्र सरकार की 30 अप्रैल, 2005 की गाईड लाईन हैं, जो कि अंग्रेजी में है इसे मैं सदन के सम्मुख पढ़ रहा हूँ– "द अप ग्रेडेशन ऑफ रोड्स कंस्ट्रेक्टेड इन फॉरेस्ट एरियाज प्रायर टफ 1980 प्रोम कोट टु पूका इज एलाउड टु एक्सटेंट दैट दीज रोड्स आर नॉट ब्लैक टॉप्ड एण्ड इफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अपग्रेडेशन दीज रोड्स नीड टु बी ब्लैक टाप्ड, प्रायर इनवायरमेंटल क्लियरेंस सेल बी शॉट बाई द यूजर एजेंसी इन दिस रिगार्ड।" इसका अर्थ है जो कच्चे मार्ग हैं उनको पक्का बनाने के लिए, यदि वे 1980 के पहले के हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मान्यवर, इसी के पैरा दो में लिखा है कि "फॉर सच अपग्रेडेशन इन प्रोटेक्टेड एरियाज, लाईक नेशनल पार्क/सेंचुरी, प्रॉयर परमिशन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ एण्ड द सुप्रीम कोर्ट शैल बी टेकन बाई द स्टेट/यू0पी0 गवर्नमेंट"। मान्यवर, यह कार्य करना जरूरी है। रामनगर से लेकर कीतरीखेत, कालागढ़ तक कच्चा मार्ग है। इसके निर्माण की स्वीकृति हमें पहले सर्वोच्च न्यायालय से लेनी होगी। हमें एलीवेटेड हाइवे का निर्माण करना होगा।

मान्यवर, जहां तक आपने टनकपुर की बात की है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय का पैरा एक लागू होता है। मान्यवर, इसमें हमें केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होगी। वर्तमान में यह जो कच्ची सड़क कालागढ़ तक है। दूसरी तरफ कोटद्वार से हल्द्वानी मार्ग भी कच्चा है। परन्तु रामनगर से कालागढ़ का जो हिस्सा है इसके लिए आठ करोड़ सत्तर लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है, जिस पर निर्माण भी प्रारम्भ हो चुका है। मान्यवर, जो पातन सर्वोच्च न्यायालय की बिना अनुमति के हुआ, उसका संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय ने लिया और इसमें हमें चार वर्ष लगे। मान्यवर, वन मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए सदन ने जो धनराशि स्वीकृत करायी है इसका उपयोग किया जायेगा। मान्यवर, टनकपुर से हल्द्वानी, हल्द्वानी से कालागढ़, कालागढ़ से रामनगर, रामनगर से कोटद्वार तक का मार्ग है।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही चतुराई से उत्तर दिया है। एक तरफ माननीय मंत्री जी ने वन अधिनियम का जिक्र किया और दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजाजी पार्क, कार्बेट पार्क का जिक्र किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सड़क तो बनी हुई है, नई नहीं बनानी है। मान्यवर, टनकपुर से रामनगर, रामनगर से कोटद्वार, कोटद्वार से चीला की सड़क को मैं देख चुका हूँ, मैं इस सड़क का पक्षधर हूँ, यह सड़क बननी चाहिए। फ्लाईओवर के लिए कह रहे हैं, तो 2–3 महीने में आप क्या कर पायेंगे ? मान्यवर, आप रामनगर से कोटद्वार, कोटद्वार से हरिद्वार में नियमित बस सेवा करवा सकते हैं, जो पहले से लगी हुई थी और नियमित नहीं चल रही थी। मान्यवर, यदि बिजनौर की सीमा से सड़क को ले जायेंगे तो उत्तरांचल की जनता को कोई लाभ नहीं मिल पायेगा, वहाँ से जाना है तो वही पुरानी दूरी है। मान्यवर, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, कार्बेट पार्क हमारे लिए हैं हम उनके लिए नहीं हैं, उनकी रक्षा हम करें पर जनता का हित सर्वोपरि है। हमारे विकास कार्य में बाधा न आये यह भी होना चाहिए, इस पर भारत सरकार से हमको लड़ना चाहिए। उत्तरांचल के जितने भी विकास कार्य हैं, वन अधिनियम के कारण रुके हैं। मान्यवर, मैं चाहूँगा कि इस सड़क पर कम से कम बस सेवा शुरू करा दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि चार बसें प्रतिदिन हैं, उस सेवा में कोई व्यवधान नहीं है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय वन मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, यदि वे मौके पर आयेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि वन के अधिकारी/कर्मचारी उन बस चालकों को प्रताड़ित करते हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, चार बस सेवा प्रतिदिन है और इसका वन विभाग का अनुबन्ध है कि वह हमारी डाक को ले जाने का कार्य करेंगे, छोटे वाहनों पर रोक नहीं लगा रहे हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आप इसका परीक्षण करा लें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं सदन में जवाब दे रहा हूँ। मान्यवर, ट्रक आदि बड़े वाहन इस मार्ग पर नहीं जा सकते हैं, छोटे वाहन सुमो, जीप आदि को जाने देंगे, पर वहाँ वन्य जीवों का खतरा है इसलिए स्कूटर आदि नहीं जाने देते हैं। मान्यवर, चार बस सेवा प्रतिदिन है, परन्तु बात वही है कि यदि नियमों से अनुमति प्राप्त नहीं की तो हमारा काम पुनः रोक दिया जायेगा जैसे पहले रोक दिया गया था।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपने जिक्र किया कि सुदृढ़ीकरण के लिए पैसा हो गया है, पिछली बार भी आश्वासन दिया था कि वह सड़क सुचारु रूप से चलती रहेगी जो आज की तारीख में है, अतः मेरा अनुरोध है कि उसका कार्य जल्द ही शुरू करा दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह शुरू हो चुका है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट में अनुमति को लेकर जो भी कार्य है, उनमें तेजी लानी चाहिए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह अनुरोध स्वीकार है, अगले माह के अन्त तक कार्य पूरा कर लेंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो बसें इन मार्गों पर चलती हैं उनसे कितना शुल्क वसूला जा रहा है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, पाखरूगेट से रामनगर जाने वाले बिना परमिट वाहन से 120 रुपये, पाखरूगेट से कालागढ़ जाने वाले बिना परमिट वाहन से 36 रुपये, पाखरूगेट से कालागढ़ परमिट वाहन से 120 रुपये, हल्के वाहन टैक्सी से 40 रुपये, प्राइवेट एवं निजी छोटे वाहनों से 10 रुपये वसूला जाता है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, क्या आप इसे सार्वजनिक करेंगे ? मेरी जानकारी में आया है कि बस चालकों से पाँच सौ रुपये लिया जाता है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वह रसीद लिये बिना पैसा न दें।

*श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बस मार्ग पूरे उत्तरांचल से सम्बन्धित है, यद्यपि इसमें हमारे हस्ताक्षर नहीं हैं फिर भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो तिब्बत बार्डर से आते हैं या मुन्स्यारी से आते हैं या धारचूला से आते हैं या वह उत्तरकाशी से हाईकोर्ट जाते हैं, मान्यवर, यहाँ से कोई बसों का प्रबन्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ जो राजधानी बनी है और वहाँ हाईकोर्ट बना है। इसका जो परपज है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या सरकार इन विभिन्न दूरस्थ जिलों से बस सेवा चलाने के लिए परमिट जारी करेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, हम बस सेवा शुरू कर देंगे, बशर्ते कि फारेस्ट विभाग बिना शर्त अनुमति दे दे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री मातबर सिंह कण्डारी एवं अन्य माननीय सदस्यों तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल में ग्रामीण क्षेत्रों में कई पॉलीटेक्निक कॉलेज हैं, वहाँ पर व्याख्याताओं की कमी है। यहाँ पर अतिथि अनुदेशक एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर कार्यरत थे, इनको कम से कम 60 रुपये देकर उनसे काम लिया जाता था। जितने भी अतिथि अनुदेशक और कम्प्यूटर प्रोग्रामर कार्यरत थे, यह लोग पॉलीटेक्निक को सुचारु रूप से चला रहे थे, इस वर्ष इन्हें नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा नहीं दिया गया। आज यह स्थिति है कि वहाँ पर कोई भी प्रशिक्षण कार्य नहीं हो रहा है। मान्यवर, व्याख्याता इन पॉलीटेक्निक में पूरी मात्रा में नहीं हैं, कहीं 5 पर एक हैं तो कहीं दो हैं। मान्यवर, उत्तरांचल में तकनीकी शिक्षा होगी तो हम बेरोजगारों को रोजगार दे सकेंगे, जितने भी हमारे बेरोजगार हैं, वह प्रशिक्षित हो सकेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थिति ऐसी है कि 06 अक्टूबर से यह अतिथि अनुदेशक और कम्प्यूटर प्रोग्रामर धरने पर बैठे हैं। पहले वह निदेशालय में बैठे थे उसके बाद अब ये लोग विधान सभा के सामने बैठे हैं क्योंकि ये बेरोजगार हो गये हैं। मान्यवर, जितने बच्चों को इन पॉलीटेक्निक कॉलेजों में प्रशिक्षण मिल रहा था वे बच्चे भी अब प्रशिक्षण से महरूम हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं जिससे तकनीकी शिक्षा के विद्यालयों में प्रशिक्षण कार्य नहीं हो रहा है। मान्यवर, क्यों इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया ? 3–4 महीने पहले ही संस्थान में प्रशिक्षण शुरू हो चुका है, लेकिन इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिये गये हैं। लगभग 7–8 वर्ष से ये यहां पर कार्य करते आ रहे हैं, इनकी कोई शिकायत भी नहीं है कि वेतन बढ़ाया जाये। इनको कम से कम वेतन दिया जा रहा है, फिर भी इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिये गये हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये बेरोजगार हैं, इनमें से कई तो ऐसे हैं जो 45 वर्ष के ऊपर के हैं, उनके सामने परिवार के लालन–पालन की जिम्मेदारी है। मैं इस सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की तात्कालिक सूचना पर सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करती हूँ। यह बेरोजगारी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं इस पर चर्चा की मांग करती हूँ।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, पॉलीटेक्निकों में अतिथि अनुदेशक और कम्प्यूटर प्रोग्रामर को रखने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है। श्रीमन्, हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी कि जब जिसे चाहा रख लिया, इसे बन्द किया जाये। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सम्बन्ध में फैसला दिया है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि कोई पद, चाहे वह संविदा का ही क्यों न हो, उसे भरने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। मंजूरी लेने में हमें कुछ विलम्ब हुआ, लेकिन अब हमें मंजूरी मिल गयी है। कम्प्यूटर प्रोग्रामर के लिए प्रधानाचार्य विज्ञापन करेंगे। व्याख्याता का पद लोक सेवा आयोग का है। हमने इसके लिए अधियाचन भेज दिया है, इन्हें जल्दी भरने का भी हमने आयोग से अनुरोध किया है, लेकिन यदि फिर भी इसमें विलम्ब हुआ तो संविदा पर रखा जा सकता है। 81 पद अनुदेशक के हैं, कम्प्यूटर प्रोग्रामर के 20 पद हैं, इन्हें शीघ्र ही भर दिया जायेगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, जो लोग 7–8 वर्ष से काम कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाये। नियुक्ति न मिलने से उनका भविष्य अंधकारमय हो चुका है। इन्हें नियुक्ति में वरीयता दी जानी चाहिए।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उच्चतम न्यायालय के 10 अप्रैल, 2006 के फैसले के बारे में बताया, उसे देखते हुए यह तो सम्भव नहीं होगा कि इन्हें वरीयता दी जाये क्योंकि वे अतिथि व्याख्याता हैं, इनको पर पीरियड का पैसा मिलता है। इनमें से जो योग्य होंगे, जिनका शिक्षक के रूप में कार्यकाल ठीक रहा होगा उनको निश्चित रूप से वरीयता दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

*श्री मालचन्द्र–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जहां एक ओर हम उत्तरांचल को ऊर्जा प्रदेश बनाने का सपना देख रहे हैं और उत्तरांचल प्रदेश का हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में नाम आने वाला है, ऐसी मेरी शुभकामना है, लेकिन मान्यवर, दीपक तले अंधेरा है। जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत आराकोट बंगाण क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो वहां के जो लोग हैं वह बहुत बुरे शब्दों में हमें कोसते हैं। मान्यवर, हिमाचल प्रदेश से इस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की जाती है, मेरे संज्ञान में है कि खोदरी से भी हिमाचल में विद्युत सप्लाई की जाती है। मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि उत्तरांचल ने हिमाचल प्रदेश को विद्युत कर नहीं दिया है जिस कारण उन्होंने वहां पर बिजली सप्लाई काट दी है। मान्यवर, जब–जब भी मैं क्षेत्र भ्रमण पर जाता हूँ तो वहां की सप्लाई काट दी जाती है। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से वहां के विद्युत विभाग के अधिकारी, वहां के कलेक्टर और मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ तो बिजली जोड़ दी जाती है। मान्यवर, आज जब हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश के रूप में, देश में ही नहीं, विदेश में भी प्रख्यात हो रहा है, दूसरी ओर हमारे प्रदेश के आराकोट बंगाण क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है क्योंकि वहां पर हिमाचल प्रदेश से बिजली सप्लाई होती थी और उनके विद्युत कर का भुगतान हमारी सरकार ने नहीं किया है। मेरा अनुरोध है कि उनके विद्युत कर का भुगतान किया जाय। मान्यवर, जब भी मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो वहां की महिलायें हमसे कहती हैं कि यह है आपका ऊर्जा प्रदेश, हमें 6 महीने से बिजली नहीं मिली है।

मान्यवर, यह बहुत कष्ट की बात है, कष्ट शब्द का प्रयोग मैं सदन में कर रहा हूँ। मान्यवर, यह कष्ट ही नहीं शर्म की भी बात है, शर्म की इसलिए क्योंकि एक तरफ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो हम ऊर्जा प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने प्रदेश के जिस क्षेत्र में बिजली हिमाचल से आ रही थी, उसके भी विद्युत कर का भुगतान न होने के कारण बिजली सप्लाई कट गई है। मान्यवर, मैं चाहूँगा कि माननीय सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय माल चन्द्र जी की बातों को सुनकर हम जो समझे हैं कि रिश्तों का तो कनेक्शन ठीक चल रहा है लेकिन बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है। माननीय मंत्री जी इस पर भी अपना उत्तर दे दें।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

मान्यवर, इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश से होती थी लेकिन अब उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 33 के0वी0 उप संस्थान त्यूनी से विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है।

श्री मालचन्द्र–

मान्यवर, पावर कारपोरेशन का हाल तो सब जानते ही हैं, मैं स्वयं उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ, उत्तरकाशी में जो डैम बनाया गया है उससे उत्तरकाशी को तो बिजली दी नहीं जा रही है। तो कारपोरेशन आराकोट बंगाण में क्या त्यूनी से बिजली देगा ? वहां तो पहले भी हिमाचल से ही बिजली आती थी।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, आराकोट बंगाण क्षेत्र में 29 सितम्बर, 2006 से त्यूनी उप संस्थान से बिजली दी जा रही है।

श्री मालचन्द्र–

मान्यवर, आज वहां पर एक भी कर्मचारी नहीं है, मेरी जानकारी में है कि 500 रुपये पर वहां दैनिक कर्मचारी रखे गये हैं। मेरा निवेदन है कि यदि पावर कारपोरेशन से वहां बिजली दी जा रही है तो कर्मचारी भी दिये जायें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, विद्युत सप्लाई उत्तरांचल से दी गयी है या हिमाचल प्रदेश से ?

पंचायतीराज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, वहां पर पहले हिमाचल प्रदेश से बिजली आती थी लेकिन अब उत्तरांचल के त्यूनी उप संस्थान से वहां बिजली दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री मालचन्द्र एवं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं एक ज्वलंत विषय से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ और सरकार को भी आगाह करना चाहता हूँ, मैं बार–बार सदन में अवगत कराता रहा हूँ कि किस प्रकार से कुछ बिल्डर्स उत्तरांचल में आकर जनता का शोषण कर रहे हैं। मान्यवर, मैंने कल भी इसके 2–3 उदाहरण दिये थे। आज पुनः एक जीता–जागता हुआ उदाहरण दे रहा हूँ। मान्यवर, उप्पल टावर्स प्रा0 लि0 द्वारा राजपुर रोड में दोरंगखास में आम जनता के लिये 118 मकानों का निर्माण करवाया गया। निर्माण इस आधार पर करवाया कि हम आपको खूबसूरत सा फ्लैट देंगे, वहां पर बिजली की तारें ठीक होंगी, पानी की व्यवस्था ठीक होगी, वहां पर सड़क अच्छी होगी, डाक की व्यवस्था अच्छी होगी। इस तरह से 118 मकान बनाये और यहां के लोगों को बहुत ऊँची कीमत पर बेच दिया। जब लोगों ने फ्लैट खरीद कर उन पर कब्जा लिया तो देखा कि वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की तारें खुली हुई हैं, रोड प्रॉपर वे में बनी हुई नहीं है, वहां पर डाक की व्यवस्था नहीं है। यातायात की कोई सुविधा नहीं है। इन सारी चीजों के बारे में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जो कि उन्होंने खरीददार से किया है। उन्होंने एम0डी0डी0ए0 से नक्शा पास कराया है तथा एक एग्रीमेंट एम0डी0डी0ए0 से भी किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि एम0डी0डी0ए0 को इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं माना जा सकता है। यह सरकार का ही एक प्रतिष्ठान है। इस तरह से उसने सरकार से भी एग्रीमेंट किया है।

जब उस पर दबाव डाला गया कि आपने कहा था कि ये सुविधाएं देंगे लेकिन सारी सुविधाएं नहीं दी गयीं तो यह मामला शासन में गया। शासन की ओर से एन0के0 जोशी, एडीशनल सेक्रेटरी, उत्तरांचल शासन ने वाईस प्रेसीडेंट, एम0डी0डी0ए0, देहरादून को एक पत्र लिखा। मैं इस पत्र को पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। इसके कुछ अंश यहां पर पढ़ रहा हूँ। 'यू आर देयरफोर, कॉल्ड अपॉन टु इनस्योर दैट दि एफोरसेड बिल्डर श्री सुरेन्द्र उप्पल, हू इज केयरिंग आउट कंस्ट्रक्शन वर्क अण्डर दि नेम ऑफ एम/एस उप्पल टावर (पी) लिमिटेड, इज ब्लैक लिस्टेट एण्ड इन केस ही हैज सबमिटेड एनी प्लान फॉर सैक्शनिंग, दि सेम शुड नॉट बी कन्सीडर्ड फिट फॉर सैक्शनिंग। डायरेक्शन/आर्डर बी गिवेन टु हिम दैट टिल सच टाइम ही कम्प्लीट्स दि कंस्ट्रक्शन एण्ड प्रोवाइड्स बेसिक एमिनिटीज, एज मेंशन्ड एबव टु दि सैटिसफैक्शन ऑफ दि रेजीडेंट ऑफ राजपुर रोड एन्क्लेव, हिज प्लान शुड नॉट बी सैक्शन्ड एण्ड फर्दर एक्शन फॉर ब्लैक लिस्टिंग बी मेड।'

मान्यवर, यह इस पत्र में लिखा हुआ है। मैं इसे सदन के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। यह ब्लैक लिस्टेड हो गया है। इससे क्या होगा ? वह यहां पर दोबारा कोई प्लान नहीं करेगा। वह हमारे यहां के लोगों का करोड़ों रुपया ले गया है। इस सूचना को यहां पर उठाने का मेरा मकसद यह है कि एक नहीं हजारों बिल्डरों ने इस प्रकार उत्तरांचल के लोगों का शोषण किया है। ये बिल्डर देश की विभिन्न जगहों से यहां पर आ रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूँ कि यह खुली धोखाधड़ी का मामला है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस पर कोई धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है ? यदि नहीं किया है तो क्यों ? यदि कोई साधारण आदमी एक पेड़ काट देता हे तो उसको जेल हो जाती है। लेकिन बड़े–बड़े बिल्डर सरकार के साथ एग्रीमेंट करके जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? मैं पुनः सरकार पर आरोप लगा रहा हूँ कि इन सबमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा करबद्ध अनुरोध है कि उत्तरांचल के लोगों को शोषण से बचाने के लिए आज सदन का शेष कार्य रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, राजपुर रोड इन्क्लेव रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी से उप्पल टावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजपुर रोड इन्क्लेव में निर्मित भवनों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु दिनांक 21 अगस्त, 2006 एवं दिनांक 01 सितम्बर, 2006 को निदेशक, उप्पल टावर प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून को शासन के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ निर्देशित किया गया। मान्यवर, किन्तु वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। इसलिए उन शिकायतों के प्रति एकपक्षीय निर्णय लिया गया। माननीय सदस्य ने जो पत्र अध्यक्ष जी, आपको दिया है उसमें उसी का रिफरेंस है। 21 सितम्बर को हमने उप्पल टावर को ब्लैक लिस्ट कर दिया कि वे यदि अब जब कोई नक्शा प्रस्तुत करेंगे तो हम उसकी समीक्षा करेंगे। मान्यवर, उन्होंने स्थल के विकास के सम्बन्ध में स्थलीय अभिलेख और कुछ साक्ष्य शासन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं जिस पर हमने सहायक अभियन्ता स्तर के एक अधिकारी को स्थलीय निरीक्षण करने के लिए आदेश दिया है और उप्पल टावर प्राइवेट लि0 को यह निर्देशित किया है कि वह समस्त मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिन लोगों ने प्लॉट्स खरीदे हैं और जो एग्रीमेंट के अन्दर सुविधा है वह उपलब्ध करा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसमें कोई समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। मान्यवर, इस प्रकार की धोखाधडी के अन्तर्गत सरकार कोई कार्यवाही करेगी या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसकी जाँच की जा रही है कि जो एग्रीमेंट था उसके अनुसार सुविधा क्यों नहीं दी गई। यदि एग्रीमेंट के अनुसार सुविधा उपलब्ध नहीं कराते हैं तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी को और माननीय अजय भट्ट जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

*श्री नारायण पाल–

मान्यवर, यह वर्ग 4 की भूमि के नियमितीकरण का मामला है। मान्यवर, इस मामले को हम लगातार सदन में उठाते रहे हैं। हम और आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि तराई और भावर के अन्दर जो नदी नाले थे और जो बंजर पड़ी जमीनें थीं उनको वहाँ के काश्तकारों ने अपने परिश्रम के बल पर उपजाऊ बनाया और आज इसी क्षेत्र के कारण हमारा उत्तरांचल राज्य खाद्यान्न के मामले में समृद्ध है। आज सरकार द्वारा उनकी जमीनों के साथ नकारात्मक व्यवहार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में हम सरकार को समय–समय पर सचेत करते रहे हैं। वर्तमान में इन जिलों के काश्तकारों द्वारा वर्षों पूर्व नजराना रकम भी नियमितीकरण करने की दिशा में जमा किया गया था लेकिन इस वर्ग–चार की जमीन को वर्ग एक "क" में शामिल करना चाहिए वर्ग एक "ख" में शामिल करने से पूर्व भूमि हस्तान्तरित नहीं हो पायेगी, जिससे काबिज काश्तकार को बेचने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। मेरी जानकारी में है कि इस सम्बन्ध में सरकार ने नकारात्मक कार्य किया है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है उस कमेटी द्वारा जो सर्किल रेट की अनुशंसा की गई है, उसमें सर्किल रेट बढ़ाये गये हैं। जो लोग जमीनों का स्वामित्व लेने की सोचते हैं उन्हें सर्किल रेट के कारण दिक्कत है।

मान्यवर, यह जमीनों का मामला है, आप स्वयं महसूस करते होंगे कि किसान तो हमेशा चौकीदार की भूमिका में रहा है। मान्यवर, आज वर्ग–4 की जमीनों का नियमितीकरण किया जा रहा है लेकिन आज भी वह चौकीदार की ही भूमिका में है क्योंकि न तो उसे जमीन खरीदने का अधिकार है और न ही बेचने का अधिकार है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही चिन्तनीय प्रश्न है इससे किसानों का बहुत बुरी तरह से शोषण हो रहा है। सरकार का एटिट्यूड बहुत ही नकारात्मक है। मान्यवर, हम अपनी जमीन बेच नहीं पायेंगे, कोई जमीन खरीद नहीं पायेंगे, हम हर तरफ से बन्धुआ मजदूर रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसमें सरकार को कोई दिशा–निर्देश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दें। मान्यवर, यह मामला 1983 से न होकर 2001 तक नियमित हो। मान्यवर, यह एक ज्वलन्त विषय है। मान्यवर, जब यह सरकार बनी थी तो लोगों को उम्मीद थी कि यह सरकार किसानों के हित में फैसला लेगी, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। मैं इसमें आपसे सरकार को निर्देश की अपेक्षा करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सूचना उपलब्ध नहीं थी। यह सही है कि वर्ग 4 के सम्बन्ध में जो किसानों की मांग थी, इस पर मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट की एक सब कमेटी ने निर्णय लिया कि वर्ग 4 की जमीन, और अन्य बहुत सारी जो जमीनें हैं, जिनके प्राविधानों के बारे में भी विचार चल रहा है। मान्यवर, तराई, भावर और पर्वतीय क्षेत्र की ऐसी जमीन पर लम्बे समय से विचार चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा रुद्रपुर में कर दी थी। मान्यवर, कैबिनेट की सब–कमेटी ने राजस्व विभाग और गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल के कमिश्नर की उपस्थिति में निर्णय लिया कि जो अन्य जमीन है जैसे खाम, नजूल आदि की जमीन है, उसके बारे में भी निर्णय लिया जायेगा। पक्ष–विपक्ष दोनों को इसका स्वागत करना चाहिए। पूर्व में जिनके सामने इस तरह के प्रकरण उठते रहे, उन्होंने इस पर विचार नहीं किया। यह हमारी सरकार ने अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि जिनके पास एक, दो, तीन, चार बीघा जमीन है, उनको नियमित करने का फैसला लिया गया। मान्यवर, खाम की जमीन, नजूल की जमीन बहुत सारे ऐसे प्रकरण जमाने से पड़े हुए हैं। खाम के प्रकरण पर भी विचार किया जा रहा है, इसमें चिन्ता की बात नहीं है, सरकार किसानों के हित में ही निर्णय लेगी।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया है कि सम्भवतः उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन माननीय मंत्री जी को इसकी व्यवहारिक जानकारी मिलती रहती है। मान्यवर, यह जो पत्र मेरे पास है यह उत्तरांचल शासन ने राजस्व विभाग को पत्र भेजा है। मैं खाम के जमीन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वर्ग 4 के जमीन की बात कर रहा हूँ। इसको खरीदने–बेचने का अधिकार मिले, और इसका सर्किल रेट बढ़ना चाहिए। मान्यवर, मैं तीन विषयों पर बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसका अध्ययन कर लें, चूंकि यह लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। मान्यवर, आपने माननीय मंत्री जी को सुना है, जैसा कि उन्होंने बताया कि न तो उनको इस बारे में जानकारी है और न ही उन्होंने अध्ययन किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सारी बातें आ चुकी हैं, कृपया आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जहाँ तक वर्ग 4 की जमीन का सवाल है तो जो कैबिनेट में विचार हुआ वही जानकारी मैंने आपको दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

अब हम अपरान्ह 4.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपरान्ह 4.00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

वित्तीय वर्ष, 2006–07 के प्रथम अनुपूरक अनुदान का प्रस्तुतीकरण

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से नियम 182 के अन्तर्गत महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति से वित्तीय वर्ष, 2006–07 के प्रथम अनुपूरक अनुदान को प्रस्तुत करता हूँ।

नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 53 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई है। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री अनिल नौटियाल की सूचना, जो बेरोजगार डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की ए0एन0एम0 केन्द्रों में नियुक्ति के सम्बन्ध में है, को नियम 53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा उत्तरांचल निवास, नई दिल्ली में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री नारायण पाल की सूचना को नियम 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मुझे वक्तव्य नहीं मिला है।

लघु सिंचाई विभाग में सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने के सम्बन्ध में श्री नारायण सिंह जंतवाल, स0वि0स0, द्वारा नियम 53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लघु सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

*कृषि मंत्री [श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)]–

मान्यवर, लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सहायक बोरिंग टेक्निशियल एवं कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों हेतु माह सितम्बर, 2005 में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार कराया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया था, किन्तु एक अभ्यर्थी, जिसका आवेदन–पत्र अपूर्ण होने के कारण आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया गया था, की शिकायत पर उत्तरांचल शासन द्वारा जाँच करायी गयी। जाँच प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जिस पर अन्तिम निर्णय शीघ्र ले लिया जायेगा।

*श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, जाँच प्रक्रिया पूरी हो गयी है, यह आपने आश्वस्त कर दिया किन्तु इसमें कोई निश्चित अवधि बतायेंगे कि कब तक इसका परीक्षा फल घोषित कर देंगे ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, जाँच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अन्तिम निर्णय अतिशीघ्र कर लिया जायेगा।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, इसमें कोई समय निर्धारित कर दिया जायेगा ?

*श्री फूल सिंह बिष्ट–

इसमें कोई समय सीमा होनी चाहिए।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, अतिशीघ्र कर दिया जायेगा।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, इसमें कोई समय बता दीजिए कि कब तक हो जायेगा।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, यह 15 दिन के अन्दर अतिशीघ्र हो जायेगा।

देहरादून के इन्दर रोड रिस्पना पुल के बाईं ओर नगर निगम द्वारा उपलब्ध भूमि पर उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा उच्च जलाशय का निर्माण न कर पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरबंस कपूर स0वि0स0 द्वारा नियम 53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[देहरादून में पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी की सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इन्दर रोड रिस्पना पुल के बांयी ओर नगर निगम

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा नलकूप के निर्माण हेतु 150 वर्ग मीटर भूमि उत्तरांचल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को उपलब्ध करायी गयी थी जबकि कार्यस्थल पर कुल 540 वर्ग मीटर भूमि नगर निगम की है। नलकूप का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वहां के क्षेत्रीय पार्षद श्री सुनील जायसवाल द्वारा अवगत कराया गया कि यह समस्त भूमि नगर निगम की होने के फलस्वरूप पेयजल निगम को हस्तान्तरित कर दी जायेगी तथा इसमें नलकूप के साथ-साथ उच्च जलाशय के निर्माण हेतु प्राक्कलन विरचन करने हेतु अनुरोध किया गया। कार्य स्थल पर नलकूप निर्माण का कार्य मार्च, 2006 में पूर्ण कर लिया गया तथा नलकूप से सीधे पम्पिंग कर जनता को वर्तमान में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्षेत्र में उच्च दबाव पर जलापूर्ति हेतु नलकूप के पास उच्च जलाशय एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु एक योजना अनुमानित लागत रु0 72.59 लाख विरचित कर शासन को प्रेषित की गयी। शासन द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए रु0 20.71 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रस्तावित भूमि पर अवैध निर्माण के सम्बन्ध में विभाग द्वारा समय-समय पर जिलाधिकारी एवं मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम से अनुरोध किया गया। जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकरण में उप जिलाधिकारी, सदर से जाँच करायी गयी। तद्नुसार जाँच आख्या निम्नवत् है :-

"इस स्थल पर एक व्यक्ति श्री पप्पू द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है। जल निगम के अभियन्ता के कथनानुसार इस अतिक्रमण को हटाया जाना आवश्यक है। यहाँ पर महोदय को यह भी अवगत कराना है कि स्थल निरीक्षण के समय भिन्न है, जिस स्थल दा स्थगन आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। जहाँ तक अतिक्रमण हटाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि नगर निगम के स्वामित्व की भूमि है और नगर निगम के स्वामित्व की भूमि होने के कारण अतिक्रमण हटाने हेतु मजिस्ट्रेट/पुलिस की आवश्यकता होगी तो उनके द्वारा अवगत कराने पर उपलब्ध कराया जा सकता है।"

उप जिलाधिकारी की उपरोक्त जाँच रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में विभाग द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गयी है, अपितु विभाग द्वारा जलाशय के निर्माण के लिए हर स्तर पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के पश्चात् तत्काल ही उच्च जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल प्रातः 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही 4 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

महेश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा, उत्तरांचल।

देहरादून
दिनांक : 11 अक्टूबर, 2006

नत्थी 'क'

(देखिए ता0प्र0सं0 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

विभिन्न छात्रवृत्तियों की सूची

क्र0 सं0	योजना का नाम	संख्या	दर
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय योजनान्तर्गत प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के बच्चों की योग्यता छात्रवृत्ति	50	गैर छात्रावासी छात्रों को रु0 50/– तथा छात्रावासी छात्रों को रु0 75/– प्रतिमाह प्रदान की जाती है।
2.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	300	गैर छात्रावासी छात्रों को रु0 60/– तथा छात्रावासी छात्रों को रु0 100/– प्रतिमाह प्रदान की जाती है। अभिभावक की आय रु0 25,000/– से अधिक होने पर रु0 100/– का एकमुश्त पुरस्कार दिया जाता है।
3.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा बच्चों को शैक्षिक सुविधायें और छात्रवृत्ति	स्व0 सं0 से0 के आश्रितों की संख्या के आधार पर	कक्षा 6–8 तक रु0 08/–, हाईस्कूल स्तर पर रु0 15/– तथा इण्टर स्तर पर रु0 25/– प्रतिमाह देय होगी।
4.	राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति	प्रति कक्षा–एक	पूर्व मध्यमा में रु0 10/–, उत्तर माध्यमा में रु0 16/–, शास्त्री में रु0 30/– एवं आचार्य में रु0 40/– प्रतिमाह देय है।
		प्रति जनपद एक	उक्तवत।
5.	देश के चुने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले प्रतिभावान बालक एवं बालिकाओं को विशेष छात्रवृत्तियाँ देना	दो विद्यालय	विद्युत जलकर, भवन किराया आदि रु0 1,000/– प्रतिमाह, ट्यूटर प्रति विद्यालय 03 हेतु रु0 150/– प्रतिमाह। प्रसांगिक व्यय रु0 4800/– प्रतिवर्ष दी जाती है। एकीकृत परीक्षा में सूची "क" एवं "ख" में चयनित अभ्यर्थियों को आवासीय विद्यालय व्यवस्था है।

1	2	3	4
6.	माध्यमिक स्तर (कक्षा 9–12) पर अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था		एकीकृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत दी जा रही है। उ0प्र0 में यह छात्रवृत्ति एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को दी जाती थी।
7.	अवर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 7–8 पर अतिरिक्त छात्रवृत्ति की व्यवस्था	प्रति कक्षा एक	रु0 5/– प्रतिमाह। छात्र/छात्रा की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वरीयतानुसार प्रधानाचार्य की संस्तुति पर जि0वि0नि0 द्वारा यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
8.	ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के कक्षा 9–10 के प्रतिभावान छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ		एकीकृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत दी जा रही है। उ0प्र0 में यह छात्रवृत्ति एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को दी जाती थी।
9.	प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में एक अतिरिक्त हाईस्कूल छात्रवृत्ति की व्यवस्था	प्रति कक्षा–एक	कक्षा 9–10 में रु0 15/– तथा कक्षा 11–12 में रु0 16/– प्रतिमाह।
10.	माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल तथा इण्टर परीक्षा में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को शैक्षिक सुविधा	मैरिट लिस्ट के आधार पर	अतिरिक्त विशेष सम्मानार्थ माध्यमिक शिक्षा परिषद् के वरीयता क्रम में 10 मेधावी छात्र/छात्राओं को शुल्क मुक्ति तथा उनसे सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य को चल वैजयन्ती प्रदान की जाती है।
11.	एकीकृत छात्रवृत्ति–		
	सूची "क"	सूची के अनुसार	गैर छात्रावासी छात्रों को रु0 50/– तथा छात्रावासी छात्रों को रु0 100/– प्रतिमाह प्रदान की जाती है।
	सूची "ख"	सूची के अनुसार	गैर छात्रावासी छात्रों को रु0 30/– तथा छात्रावासी छात्रों को रु0 100/– प्रतिमाह तथा शिक्षा शुल्क प्रति छात्र जो भी हो।
	सूची "ग"	सूची के अनुसार	एकीकृत सूची "क" एवं "ख" की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के पश्चात् शेष उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रु0 15/– प्रतिमाह।

1	2	3	4
12.	विद्यालयों में कक्षा 7–12 के छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति	प्रति कक्षा एक	कक्षा 7–8 में रु0 5/–, कक्षा 9–10 में रु0 10/– एवं कक्षा 11–12 में रु0 16/– प्रतिमाह देय होगा। यह छात्रवृत्ति सीमान्त जनपदों में अध्ययनरत छात्रों को देय होगी।
13.	जूनियर योग्यता छात्र–वृत्ति	पूर्ववत निर्धारित मानक के अनुसार	कक्षा 6 से 8 तक 03 वर्षों के लिए रु0 15/– प्रतिमाह देय है।
14.	खेल छात्रवृत्ति	स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की संख्या पर	राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान रु0 500/– राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान रु0 400/– राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान रु0 300/– प्रतिमाह की दर से 12 माह तक।
15.	आर0आई0एम0सी0 छात्रवृत्ति	आर0आई0एम0सी0 में उत्तरांचल मूल के अध्ययनरत छात्रों की संख्या	रु0 1,000/– प्रतिमाह की दर से।

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2006 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का संलग्नक

जनपद उत्तरकाशी में ए0आई0वी0पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष, 2004–05 व 2005–06 में विकास खण्डवार आवंटित धनराशि एवं निर्मित गूल एवं हौज का विवरण :–

क्रम सं0	विकास खण्ड	वर्ष, 2004–05 के माह मार्च, 2005 तक			वर्ष, 2005–06 के माह मार्च, 2006 तक		
		आवंटित धनराशि (लाख रु0)	निर्मित हौज (संख्या)	निर्मित गूल (कि0मी0)	आवंटित धनराशि (लाख रु0)	निर्मित हौज (संख्या)	निर्मित गूल (कि0मी0)
1.	भटवाड़ी	57.290	01	9.430	56.780	02	7.452
2.	डुण्डा	92.033	01	14.710	129.260	03	16.253
3.	चिन्यालीसौड़	53.820	06	9.030	72.020	09	12.315
4.	नौगांव	64.190	00	11.050	133.170	01	31.853
5.	पुरोला	115.545	06	19.560	50.060	01	10.585
6.	मोरी	20.179	00	9.990	44.210	05	5.490
	योग	403.057	14	73.770	485.500	21	83.948

महेन्द्र सिंह माहरा,
मंत्री, लघु सिंचाई।

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

जिला मुख्यालय उत्तरकाशी की 10 कि0मी0 के अन्तर्गत स्थित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–पंजीकरण एवं तैनात अध्यापकों का विवरण

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	छात्र–संख्या	तैनात अध्यापकों की संख्या
1	2	3	4
1.	प्रा0वि0 बिरला गली (नगर)	89	3
2.	प्रा0वि0 ज्ञानसू (पुराना नगर)	105	4
3.	प्रा0वि0 ज्ञानसू (नवीन नगर)	28	2
4.	प्रा0वि0 खण्ड (नगर)	24	2
5.	प्रा0वि0 गंगोरी (नगर)	23	2
6.	प्रा0वि0 लक्षेश्वर (नगर)	19	2
7.	प्रा0वि0 पाटा	44	2
8.	प्रा0वि0 (बालिका) उत्तरकाशी	132	4
9.	प्रा0वि0 (बालक) उत्तरकाशी	93	4 (2 अध्यापक विकलांग हैं)
10.	प्रा0वि0 जसपुर	60	3
11.	प्रा0वि0 माण्डौं	57	3
12.	प्रा0वि0 तिलोथ	43	3 (1 मा0 उच्च न्याया0 द्वारा स्थगन आदेश पर कार्यरत)
13.	प्रा0वि0 बोंगा	50	3
14.	प्रा0वि0 मैलूड़ा	38	2
15.	प्रा0वि0 इडालगांव	30	3
16.	प्रा0वि0 कोटियालगांव	46	2
17.	प्रा0वि0 लदाड़ी	65	4 (1 विकलांग अध्यापक)
18.	प्रा0वि0 वसुंगा	28	2
19.	प्रा0वि0 बगियालगांव	41	3 (1 अध्यापक लम्बे समय से अवकाश पर)
20.	प्रा0वि0 कोट बंगला	22	2

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम-	छात्र–संख्या	तैनात अध्यापकों की संख्या
1	2	3	4
21.	प्रा0वि0 डांग	33	2
22.	प्रा0वि0 कंसैण	90	3
23.	प्रा0वि0 पोखरी	20	2
24.	प्रा0वि0 बड़ेथी	43	3
25.	प्रा0वि0 मातली	122	4
26.	क0उ0प्रा0वि0 बड़ेथी	41	5
27.	क0उ0प्रा0वि0 जसपुर	41	6
28.	क0उ0प्रा0वि0 बसुगा	17	4
29.	कन्या गांधी विद्या मंदिर, उत्तरकाशी	70	5

नोटः—अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक, जनपद उत्तरकाशी से प्राप्त उक्त विवरण।

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

जिला उत्तरकाशी के अन्तर्गत ऐसे प्राथमिक विद्यालयों का विवरण, जिनमें केवल शिक्षा मित्र तैनात हैं

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम, विकास खण्ड का नाम	कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या
1	2	3
1.	प्रा0वि0 किराणूं, मोरी	1
2.	प्रा0वि0 जाकुली, मोरी	1
3.	प्रा0वि0 राला, मोरी	1
4.	प्रा0वि0 मसरी, मोरी	1
5.	प्रा0वि0 हल्डवाड़ी, मोरी	1
6.	प्रा0वि0 लियाड़ी, मोरी	1
7.	प्रा0वि0 दोणी, मोरी	1
8.	प्रा0वि0 पासा, मोरी	1
9.	प्रा0वि0 विन्द्री, मोरी	1
10.	प्रा0वि0 झोटाणी, मोरी	1
11.	प्रा0वि0 बन्नूगाड़, मोरी	1
12.	प्रा0वि0 हरीपुर, मोरी	1
13.	प्रा0वि0 तालुका, मोरी	1
14.	प्रा0वि0 धारा, मोरी	1
15.	प्रा0वि0 बुडोत्रा, मोरी	1
16.	प्रा0वि0 बनाड़ी तल्ली, चिन्यालीसौड़	1
17.	प्रा0वि0 खिलोज, चिन्यालीसौड़	1
18.	प्रा0वि0 जुग्याणा, चिन्यालीसौड़	1
19.	प्रा0वि0 मल्डगांव, चिन्यालीसौड़	1
20.	प्रा0वि0 बणगांव, चिन्यालीसौड़	1
21.	प्रा0वि0 बदाल्डा, चिन्यालीसौड़	1
22.	प्रा0वि0 बागी, चिन्यालीसौड़	1
23.	प्रा0वि0 गढ़त, चिन्यालीसौड़	1

1	2	3
24.	प्रा0वि0 जोखड़ी, चिन्यालीसौड़	1
25.	प्रा0वि0 मुरोगी, चिन्यालीसौड़	1
26.	प्रा0वि0 न्युइड, डुण्डा	1
27.	प्रा0वि0 पोखरियालगांव, डुण्डा	1
28.	प्रा0वि0 चोटियाटगांव, डुण्डा	1
29.	प्रा0वि0 नवागांव, डुण्डा	1
30.	प्रा0वि0 मैनोल, डुण्डा	1
31.	प्रा0वि0 वाडिया, नौगांव	1
32.	प्रा0वि0 बिनौला, नौगांव	1
33.	प्रा0वि0 कुडबनाल, नौगांव	1
34.	प्रा0वि0 सरणाचक, नौगांव	1

नोट:-अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक, जनपद उत्तरकाशी से प्राप्त उक्त विवरण।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

यूनिट–दयारी–दियली

गाँव का नाम — भौ0 (भौतिक) / वि0 (वित्तीय)

क्र0 सं0	गतिविधि	इकाई	नगरी भौ0	नगरी वि0	उलण भौ0	उलण वि0	चौंदपुर भौ0	चौंदपुर वि0	जसपुर भौ0	जसपुर वि0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	खेतों के पुश्ता मरम्मत	घन मी0	—	—	—	—	2.33	1800	21.29	1650
2.	उद्यान स्थापना प्रदर्शन	है0	0.80	10160	—	—	—	—	0.56	6354
3.	मौसमी/बेमौसमी सब्जी प्रदर्शन	है0	0.574	4686	0.559	4875	0.62	5399	030	3797
4.	बायो/वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्शन	सं0	—	—	1	3500	—	—	1	3500
5.	उच्च मूल्य फसल प्रदर्शन	है0	0.08	1798	0.12	2679	—	—	0.20	4464
6.	सघन कृषि प्रदर्शन	है0	1.62	2223	0.24	351	0.48	703	1.89	2765
7.	पशु आवास प्रदर्शन	सं0	1	17600	1	17500	1	17600	1	17500
8.	नाद प्रदर्शन	सं0	1	2400	—	—	1	2400	2	4800
9.	चैफ कटर वितरण	सं0	1	3000	—	—	—	—	1	3000
10.	चारा फसल प्रदर्शन	है0	0.12	326	—	—	—	—	0.12	327
11.	नेपियर घास प्रदर्शन	है0	2	14036	—	—	—	—	—	—
12.	ग्रामीण स्तरीय प्रशिक्षण	सं0	4	18080	2	7833	2	8080	4	18850
13.	ग्राम स्तरीय कार्यशाला	सं0	4	20125	—	—	—	—	2	10306
14.	जीरो इनर्जी कूल चैम्बर	सं0	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग			96920		36539		39182		76322

क्र0 सं0	गतिविधि	कयामड़ी भौ0	कयामड़ी वि0	कनकोट भौ0	कनकोट वि0	जगठगाँव भौ0	जगठगाँव वि0	ममपारी भौ0	ममपारी वि0	पिपलखण्डा भौ0	पिपलखण्डा वि0
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	खेतों के पुश्ता मरम्मत	18.7	1450	18.7	1450	18	1450	—	—	—	—
2.	उद्यान स्थापना प्रदर्शन	0.97	11569	0.82	10420	1.06	13470	—	—	—	—
3.	मौसमी/बेमौसमी सब्जी प्रदर्शन	0.44	3805	0.44	3798	0.600	5063	—	—	—	—
4.	बायो/वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्शन	1	3500	1	3500	1	3500	—	—	—	—
5.	उच्च मूल्य फसल प्रदर्शन	0.20	4465	0.20	4465	0.20	4465	—	—	—	—
6.	सघन कृषि प्रदर्शन	0.96	1404	—	—	0.11	161	0.72	1053	0.11	161
7.	पशु आवास प्रदर्शन	1	17600	1	17500	1	17500	—	—	—	—
8.	नाद प्रदर्शन	2	4800	2	4800	2	4800	—	—	—	—
9.	चैफ कटर वितरण	1	3000	1	3000	1	3000	—	—	—	—
10.	चारा फसल प्रदर्शन	0.72	1967	0.12	326	0.12	326	—	—	—	—
11.	नेपियर घास प्रदर्शन	1	7018	1	7018	1	7018	—	—	—	—
12.	ग्रामीण स्तरीय प्रशिक्षण	5	18010	4	18000	4	17502	6	22818	—	—
13.	ग्राम स्तरीय कार्यशाला	4	20000	4	20000	2	9650	1	5000	—	—
14.	जीरो इनर्जी कूल चैम्बर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग		86509		94378		88026		28568		161

क्र0 सं0	गतिविधि	मरगाँव भौ0	मरगाँव वि0	बगोड़ी भौ0	बगोड़ी वि0	दियली भौ0	दियली वि0	मेगवालगाँव भौ0	मेगवालगाँव वि0	क्यारी भौ0	क्यारी वि0
1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	खेतों के पुश्ता मरम्मत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	उद्यान स्थापना प्रदर्शन	1.1	12075	0.60	6353	—	—	—	—	—	—
3.	मौसमी/बेमौसमी सब्जी प्रदर्शन	—	—	0.5	4354	0.25	2178	—	—	0.5	4354
4.	बायो/वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्शन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	उच्च मूल्य फसल प्रदर्शन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	सघन कृषि प्रदर्शन	0.22	485	0.11	160	0.11	161	—	—	—	—
7.	पशु आवास प्रदर्शन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	नाद प्रदर्शन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	चैफ कटर वितरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	चारा फसल प्रदर्शन	0.4	1087	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	नेपियर घास प्रदर्शन	1	7018	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	ग्रामीण स्तरीय प्रशिक्षण	4	18260	3	13487	3	12329	1	4020	2	8230
13.	ग्राम स्तरीय कार्यशाला	4	20020	5	24945	1	5800	—	—	4	20000
14.	जीरो इनर्जी कूल चैम्बर	1	12000	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग		73871		49112		19606		4020		33054

यूनिट–दस्कीगाढ

क्र0 सं0	गतिविधि	इकाई	गाँव का नाम													
			कनोद पस्सा		खदाना		धारकोट		टिपरी–दस्की		मथली		जिया		बाणी	
			भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	खेतों के पुश्ता मरम्मत	घन मी0	0	0	0	0	12	13834	0.7	8072	0	0	0.40	4617	0	0
2.	उद्यान स्थापना प्रदर्शन	है0	02	1782	0	0	2	17526	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	पौलनी/बेमौसमी सब्जी प्रदर्शन	है0	1	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बायो/वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्शन	सं0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	उच्च मूल्य फसल प्रदर्शन	है0	0	0	0	0	0.88	2210	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	सघन कृषि प्रदर्शन	है0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	पशु आवास प्रदर्शन	सं0	1	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	खाद प्रदर्शन	सं0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	चैफ कटर वितरण	सं0	0	0	0	0	1	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	चारा फसल प्रदर्शन	है0	0	0	0	0	2.5	18110	0	0	0	0	2.5	18110	0	0
11.	नेपियर घास प्रदर्शन	है0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4500	0	0	0	0
12.	ग्रामीण स्तरीय प्रशिक्षण	सं0	1	6000	3	15000	5	20000	2	10000	3	15000	5	25000	1	5000
13.	ग्राम स्तरीय कार्यशाला	सं0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12900	0	0	0	0
14.	सौरी इनर्जी ड्रूड चैम्बर	सं0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग			12982		15000		76791		18072		32400		48727		5000

क्र0 सं0	गतिविधि	इकाई	गाँव का नाम															
			दन्कोल		जड्डकोला		रमोली		बदान्जा		ललकोट		सुरी		दारगढ़		मुरोगी	
			भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.	खेतों के पुश्ता मरम्मत	घन मी0	0	0	0	0	0	0	1.16	13374	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	उद्यान स्थापना प्रदर्शन	है0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	पौलनी/बेमौसमी सब्जी प्रदर्शन	है0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बायो/वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्शन	सं0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	उच्च मूल्य फसल प्रदर्शन	है0	0.44	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.64	1607
6.	सघन कृषि प्रदर्शन	है0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	पशु आवास प्रदर्शन	सं0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	खाद प्रदर्शन	सं0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	चैफ कटर वितरण	सं0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	चारा फसल प्रदर्शन	है0	2	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	नेपियर घास प्रदर्शन	है0	1	4500	0	0	0	0	1	4500	1	4600	1	4600	0	0	2	9000
12.	ग्रामीण स्तरीय प्रशिक्षण	सं0	5	25000	1	6000	4	20000	0	0	2	10000	2	10000	1	5000	4	20000
13.	ग्राम स्तरीय कार्यशाला	सं0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	सौरी इनर्जी ड्रूड चैम्बर	सं0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग			45000		6000		20000		17874		14600		14600		5000		30507

यूनिट—दस्कीगाढ

क्र0 सं0	गतिविधि	इकाई	गाँव का नाम																							
			रिखणगांव		गगणगांव		सिमाणगांव		डाडागांव		वनगांव		कामदा		कपराड़ा		बडली		पुजारगांव		छेपुला		कफाटा		क्वारी		कनोट बल्ला	
			भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	खेतों के पुश्ता मरम्मत	घन मी0	132.36	10181	69.37	5366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	उद्यान स्थापना प्रदर्शन	है0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	4812	0.6	6017	0.54	6238	0.60	6017	1.18	13604	0	0	1.5	17204	0	0	0	0
3.	मौसमी/बेमौसमी सब्जी प्रदर्शन	है0	0.2	1763	0	0	0	0	0.2	1768	0.2	1762	0.6	5286	0.2	1762			0.2	1762	17	14882	2.3	20270	0	0	0.2	1762
4.	बायो/वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्शन	सं0	1	3600	0	0	0	0	0	0	1	3600	1	3600	1	3600	1	3600	1	3600	1	3600	1	3600	1	3600	0	0
5.	उच्च मूल्य फसल प्रदर्शन	है0	0.4	8926	0.2	4463	0.2	4460	0	0	0.2	4469	0.2	4463	0.2	4463	0.2	4462	0	0	0.2	4494	0	0	0.2	4463	0	0
6.	सघन कृषि प्रदर्शन	है0	0.34	864	0	0	0	0	0	0	0.64	1607	0.64	1607	0.24	603	0.24	603	0.34	604	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	पशु आवास प्रदर्शन	सं0	1	17600					1	17600	1	17600	1	17600	0	0	0	0	1	17600	1	17600	1	17600	1	17600	0	0
8.	खाद प्रदर्शन	सं0	1	2400	1	2400	1	2400	0	0	2	4800	2	4800	2	4800	2	4800	2	4800	2	4800	2	4800	1	2400	1	2400
9.	चैफ कटर वितरण	सं0	1	3000	0	0	0	0	0	0	2	6000	1	3000	0	0	1	3000	1	3000	1	3000	1	3000	1	3000	1	3000
10.	चारा फसल प्रदर्शन	है0	0.2	402	0	0	0	0	0	0	0.2	403	0.2	403	0	0	0.2	402	0	0	0.2	403	2	4023	0.2	403		
11.	नेपियर घास प्रदर्शन	है0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	ग्रामीण स्तरीय प्रशिक्षण	सं0	3	13600	3	13600	3	13600	3	13600	4	18000	4	18000	4	18000	4	18000	3	13600	4	18000	4	18000	2	9000	1	4500
13.	ग्राम स्तरीय कार्यशाला	सं0	2	10000	0	0	1	5000	0	0	2	10000	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000
14.	जीरो इनर्जी कूल चैम्बर	सं0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12800	0	0	0	0	2	25600	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग			72126		26759		26360		32968		72760		83478		44354		48694		69470		71749		93487		45366		16662

परिशिष्ट–1

उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ विकास खण्ड में ग्रामवार सम्पादित कार्यों का विवरण, 2005–06 एवं 2006–07

यूनिट–नगुण

क्र0 सं0	गतिविधि	इकाई	गाँव का नाम							
			गडथ		बनाडी		गडोली		सीरा	
			भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मौसमी/बेमौसमी सब्जी प्रदर्शन	है0	0.60	3740	—	—	—	—	0.40	15.30
2.	बायो/वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्शन	सं0	1	3500	—	—	—	—	—	—
3.	उच्च मूल्य फसल प्रदर्शन	है0	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	सघन कृषि प्रदर्शन	है0	0.90	686	—	—	—	—	—	—
5.	पशु आश्रय प्रदर्शन	सं0	1	17600	—	—	—	—	—	—
6.	नाद प्रदर्शन	सं0	2	4800	—	—	—	—	—	—
7.	चैफ कटर वितरण	सं0	1	3000	—	—	—	—	—	—
8.	चारा फसल प्रदर्शन	है0	0.10	399	—	—	—	—	—	—
9.	नैपियर घास प्रदर्शन	है0	—	—	—	—	—	—	1	6858
10.	ग्रामीण स्तरीय प्रशिक्षण	सं0	4	17175	2	8850	3	13350	2	8925
11.	ग्राम स्तरीय कार्यशाला	सं0	4	19950	3	14975	1	5000	2	10000
12.	जीरो इनर्जी कूल चैम्बर	सं0	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग			70850.00		23825.00		18350.00		27313.00

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 विधान सभा/574–13–12–2007–200 प्रतियां (कम्प्यू0/रीजियो)।